लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 16 में अंक 51 से 57 तक हैं
Vol. XVI contains Nos. 51 to 57]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये
Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 57—गुरुवार, 1 जून, 1972/11 ज्येष्ठ, 1894 (शक)

No. 57—Thursday, June 1, 1972/Jyaistha 11, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में (प्रश्न)	Re: Question of Privilege (Querry)	1
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	2-3
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	4
बिहार में पेय जल की कमी के बारे में	Re. Scarcity of Drinking Water in Bihar	5
दल-बदल पर विधान के बारे में	Re: Legislation on Defection .	5
तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में	Re: Report of Third Pay Commission . . .	5
सूखे, बाढ़ आदि के बारे में	Re: Drought, Flood Etc. . .	6
भारत-पाक शिखर सम्मेलन आदि के बारे में	Re. India-Pakistan Summit Meeting etc.	6
खाद्य अपमिश्र निवारण (कोहिमा तथा मोकोकचुन्ग जिलों पर विस्तार) विधेयक—	Prevention of Food Adulteration (Extension to Kohima and Mokok Chung Districts) Bill—	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत होने का प्रस्ताव	Motion to Agree to Rajya Sabha Amendments . . .	7-8
अलीगढ मुस्लिम विश्व विद्यालय (संशोधन) विधयक—	Aligarh Muslim University (Amendment) Bil—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider	8-63
प्रो० एस० नूरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan .	8-10, 28-29
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharyya .	10-12
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan . .	12
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali . .	12-13
श्री मुहम्मद खुदा बखश	Shri Muhammad Khuda Bukhsh . . .	13-14
श्री बी० आर शुक्ल	Shri B. R. Shukla . .	14-15
श्री सी० टी० दंडपाणि	Shri C. T. Dandapani .	15-16
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Sayad Ahmed Aga .	16-17
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi .	17-18
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C Pant .	18-21
श्री सत्येंद्र नारायण सिंह	Shri Satya Narayan Sinha .	21-22

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	22-23
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim . .	23-24
श्री इब्राहिम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait.	24-26
श्री शिवकुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri .	26-27
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	27-28
खंड 2 से 35 और 1	Clauses 2 to 35 and 1 . .	30-62
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Motion to Pass as amended .	62-63
दंड विधि (संशोधन) विधेयक—	Criminal Law (Amendment) Bill Motion to consider . .	63-71
विचार करने का प्रस्ताव—		
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha .	65-66, 69
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	67
श्री भोगेंद्र झा	Shri Bhogendra Jha . .	67
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan . .	67-68
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	68
खंड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1 . .	70-71
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass as amended .	71
आधे घंटे की चर्चा—	Half an hour discussion—	
भारत के साथ एक ओर युद्ध के लिए पाकिस्तान की तैयारी—	Pakistan's preparedness for another war with India .	71-72
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	71-72
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram . .	72

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 1 जून, 1972/11 ज्येष्ठ, 1894(शक)
Thursday, June 1, 1972/Jyaistha 11, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर चार मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at Four Minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIVILEGE

(प्रश्न)

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैंने आपको लिखा है कि विदेश मंत्री द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है...

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री पी० एम० मेहता : क्या मैं अब अपनी बात कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं।

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : I gave notice of a Privilege Motion yesterday and I was told that a decision on that would be taken after consulting the Hon. Minister. I want to know the decision taken in this respect.

Mr. Speaker : I will let you know the whole position.

Dr. Laxminarain Pandey : The matter is very serious. I have produced the photo-stat Copy of the documents. The Hon. Minister has given incorrect information. I have submitted a privilege motion on that basis. You should permit it.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में जानकारी मांगी है और मुझे स्वयं इस बारे में संतुष्ट होना होगा कि यह विशेषाधिकार का मामला है अथवा नहीं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

संसदीय कार्य-विभाग में उप-मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : मैं श्री राज बहादुर की ओर से वाणिज्य पोत-परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 460-क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत-परिवहन (अनर्हताओं का निवारण) आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी, 1972, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 92 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 3147/72]**

संचार मंत्री (श्री हेमावती नन्दन बहुगुणा) : मैं पिछली संसद् के संसद् सदस्यों की ओर, बकाया टेलीफोन बिलों की राशि के बारे में श्री बो० के० दासचौधरी के अतारांकित प्रश्न संख्या 4818 के 3 मई, 1972 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने तथा उस उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3148/72]**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)—केन्द्रीय सरकार (रेल)—की एक प्रति।

(2) वर्ष 1970-71 के, विनियोग लेखे, रेलवे, भाग 1—समीक्षा (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

(3) वर्ष 1970-71 के विनियोग लेखे, रेलवे, भाग-2—विस्तृत विनियोग लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

(4) वर्ष 1970-71 के लिए ब्लाक लेखे (ऋण लेख के पूंजीगत विवरणों सहित), तुलन पत्र तथा लाभ और हानि के लेखे, रेलवे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 3149/72]**

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं कहवा अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कहवा (तीसरा संशोधन) नियम, 1972, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल, 1972, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 457 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 3150/72]**

संसदीय कार्य विभाग उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : मैं श्री सिद्धेश्वर प्रसाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) व्यापार तथा वाणिज्या चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 134 के अन्तर्गत व्यापार तथा वाणिज्या चिन्ह (संशोधन) नियम, 1971, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5789 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 3151/72]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619क का उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

(एक) (क) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर, का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 3152/72]**

(दो) (क) मशीन टूल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, अजमेर के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) मशीन टूल कारपोरेशन आफ इण्डिया, लिमिटेड, अजमेर का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रंथालय में रखे गय । देखिये संख्या एल०टी० 3153/72]**

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, के वर्ष 1970-71 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी० 3154/72]**

(2) पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये राजस्थान को वित्तीय सहायता के बारे में श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकर के तारांकित प्रश्न संख्या 584 के 27 अप्रैल, 1972, को दिये गय उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक विवरण । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 3155/72]**

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (प्रो० डी० पी० यादव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय मे रखे गये । देखिये संख्या एल०टी०3156/72]**

(2) स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली, के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3157/72]**

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, की धारा 18 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी० 3158/72]**

———

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि लोक सभा द्वारा 26 मई, 1972, को औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1972, में किये गये संशोधनों से राज्य सभा अपनी 30 मई, 1972 की बैठक में सहमत हुई है ।

(दो) कि खान (संशोधन) विधेयक, 1972, सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में लोक सभा की सिफारिश से राज्य सभा अपनी 30 मई, 1972, की बैठक में सहमत हुई है तथा उसने राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की, जिन्हें उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया गया है, सूचना भी दी है :—

(1) श्री कल्याण राय
(2) श्री एम० के० मेहता
(3) श्री मनोरंजन राय
(4) श्री वीरेन्द्र कुमार सकलेचा
(5) श्री बी० के० महन्ती
(6) श्री सीताराम सिंह
(7) श्री शीवालेस के० शिल्ला
(8) श्री विनयकुमार रामलाल पाराशर
(9) श्री महेन्द्र बहादुर सिंह
(10) श्री काली मुखर्जी
(11) श्री जगन्नाथ भारद्वाज
(12) श्री कासिम अली आबिद
(13) श्री हिम्मत सिंह
(14) श्री द्विजेन्द्र लाल सेन गुप्ता
(15) श्री इन्द्र सिंह

(तीन) कि लोक सभा द्वारा 29 मई, 1972, को पास किये गये संविधान (*अठ्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 1972 को राज्य सभा ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसरण में, अपनी 31 मई, 1972 की बैठक में बिना किसी संशोधन के पास किया है ।

(चार) कि लोक सभा द्वारा 29 मई, 1972 को पास किये गये संविधान (**उनतीसवां संशोधन) विधेयक 1972, को राज्य सभा ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसरण में, अपनी 31 मई, 1972 की बैठक में बिना किसी संशोधन के पास किया है ।

(पांच) कि लोक सभा द्वारा 30 मई, 1972, को पास किये गये कराधान विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 1972, के सम्बध में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

---

* विधेयक लोकसभा में संविधान (इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 1972 के रूप में पुरस्थापित किया गया था ।

**विधेयक लोक सभा में संविधान (बत्तीसवां) विधेयक, 1972 के रुप में पुरस्थापित किया गया था ।

बिहार में पेय-जल की कमी के बारे में

RE : SCARCITY OF DRINKING WATER IN BIHAR

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : In Bihar, the problem of drinking water is very serious. The situation in Patna, Gaya, Dhanbad, Muzaffarpur, Bhagalpur, Monghyr is particularly serious. I want that this matter should be taken up with the Chief Minister of Bihar, who is at present here. On the one hand, the Crops are getting ruined due to shortage of water and, on the other, the people are not able to get drinking water. I want that the Government should look into the matter and try to solve this problem.

दल-बदल पर विधान के बारे में

RE : LEGISLATION ON DEFECTION

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैंने गत महीने की 19 तारीख को सभा का ध्यान इस ओर दिलाया था कि प्रधान मंत्री ने 21 अप्रैल को प्रेस सम्मेलन में एक सुझाव दिया था जिसके अन्तर्गत दल बदलने वाले सदस्यों को अपनी सीट से वंचित होना पड़ेगा। इस बारे में माननीय मंत्री ने अब तक कोई उत्तर नहीं दिया है। इसी बीच तीन विधान सभा के सदस्यों को हरियाणा अतिथि गृह में हिरासत में रखा गया है। मैं इस बारे में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बध में सम्बन्धित मंत्री महोदय को सूचित कर दिया जायेगा।

श्री पी० के० देव : इस सम्बन्ध में एक सफाई कर्मचारी द्वारा एक चिट प्राप्त हुई है जिसे मैं सभा-पटल पर रख सकता हूं।

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : माननीय सदस्य झूठे आरोप लगा रहे हैं। हमारे दल का किसी भी स्थान पर, जिसमे उड़ीसा भी शामिल है, दल बदलने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में

RE : REPORT OF THIRD PAY COMMISSION

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मुझे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि वेतन आयोग अपना प्रतिवेदन वर्ष 1972 में प्रस्तुत नहीं कर रही है। इसका अभिप्राय यह होगा कि वर्ष 1972 में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी इससे होनेवाले लाभ से वंचित रह जायेंगे। अतः केन्द्र सरकार के कर्मचारी संघों ने, जो कभी भी अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन आरम्भ करना नहीं चाहते, जुलाई, 1972 में अखिल भारतीय अभियान आरम्भ करने का निर्णय किया है। सरकार को इस मामले को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिये। माननीय मंत्री श्री के० आर० गणेश को इस बात का आश्वासन देना चाहिये कि वेतन आयोग अपना प्रतिवेदन अधिक से अधिक जुलाई, 1972 तक प्रस्तुत कर देगा। वेतन आयोग द्वारा प्रतिवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के 22 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे।

वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं इस प्रश्न का अनेक बार उत्तर दे चुका हूं। मैं यह कह चुका हूं कि वेतन आयोग यथा शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। यद्यपि निश्चित तिथि का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है लेकिन मुझे आशा है कि वतन आयोग अपना प्रतिवेदन इस वर्ष के अन्त तक प्रस्तुत कर देगा।

सूखे, बाढ़ आदि के बारे में

RE : DROUGHT, FLOOD ETC.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Our Country is passing through a very critical time at the moment. Some places have been affected by droughts, some by floods and some other by famines. The people are facing great hardships. But the opposition parties are not paying attention towards important problems of the Country. I want to know what steps Government have taken to prevent floods and to ensure the safety of the people in Uttar Pradesh and Bihar ?

श्री के० लकप्पा (तमकुर) : मैसूर राज्य में बाढ़ से बहुत क्षति हुई है । स्थिति का मुकाबला करने के लिये राज्य को राहत देनी चाहिये ।

श्री एस०बी० गिरि (बारंगल) : उपदान विधेयक के बारे में प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । श्रम मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया था कि विधेयक को इस सत्र में पारित किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मंत्री महोदय को नोटिस दिया जाना चाहिये ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बगुसराय) : मैं सरकार का ध्यान इस अफवाह की ओर दिलाना चाहता हूं कि पेट्रो-रसायन उद्योग को बरौनी से अन्यत्र ले जाया जा रहा है । इससे उस क्षेत्र में काफी चिन्ता पैदा हो रही है ।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : रेलवे कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस देने का मामला समिति को सौंपा जाना चाहिये । मंत्री महोदय बतायें कि क्या ऐसा किया जा रहा है ।

भारत-पाक शिखर सम्मेलन आदि के बारे में

RE : INDIA-PAKISTAN SUMMIT MEETING, ETC.

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I want to know the Government's reaction to the offensive words used by the President of Pakistan Shri Bhuttoo against Shrimati Indira Gandhi.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैंने अमरीका और रूस के बीच हथियारों को सीमित करने के बारे में हुई प्रतिक्रिया के विषय में लिखा था ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री समर गुह : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । हम इससे सम्बन्धित हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य दे क्योंकि आज के बाद सदन की बैठक दो महीने बाद होगी ।

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में मैं किसी भी सदस्य को तब तक बोलने का अवसर नहीं दूंगा जब तक वह सदस्य बोलने के लिए मुझे लिखित रूप में अग्रिम सूचना न दे ।

श्री पी० गंगा देव (अंगल) : मैं ने आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधान मंत्री के विरुद्ध प्रयोग में लाये गये कथित असभ्य शब्दों के बारे में ध्यान आकर्षण सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (कोहिमा तथा मोकोकचुंग जिलों पर विस्तार) विधेयक

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (EXTENSION TO KOHIMA AND MOKOKCHUNG DISTRICTS) BILL

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत होने का प्रस्ताव

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 समान रूप से समस्त भारत में लागू होता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यन्त निर्विवाद विधेयक है । इस विधेयक पर भाषण देने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, का विस्तार नागालैंड राज्य स्थित कोहिमा तथा मोकोकचुंग जिलों पर करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

"अधिनियमन सूत्र

(एक) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "बाईसवें" शब्द के स्थान पर "तेईसवें" शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

खंड 1

(दो) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, "1971" अंकों के स्थान पर '1972' अंक **प्रतिस्थापित** किये जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतया ऐसे मामलों में सब कुछ कार्यालय द्वारा किया जाता है । उक्त विधेयक राज्य सभा से प्राप्त हुआ है अतः मुझे इसे सभा में मतदान के लिये रखना होगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का विस्तार नागालैंड राज्य स्थित कोहिमा तथा मोकोकचुंग जिलों पर करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

"अधिनियमन सूत्र

(एक) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, 'बाईसवें' शब्द के **स्थान पर** 'तेईसवें' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

खण्ड 1

(दो) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, '1971' अंकों के **स्थान पर** '1972' अंक **प्रतिस्थापित** किये जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"अधिनियमन सूत्र

(एक) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, 'बाईसवें' शब्द के **स्थान पर** 'तेईसवें' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

खण्ड 1

(दो) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, '1971' अंकों के **स्थान पर** '1972' अंक **प्रतिस्थापित** किये जाये ।'"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The montion was adopted.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : विश्वविद्यालय की अन्य शक्तियां मुख्य रूप से सामान्य हैं। इस सम्बन्ध में केवल एक महत्वपूर्ण सिफारिश है कि अध्ययन विभाग को स्वायत्त विभाग बनाया जाये। विज़िटर की शक्तियां वही होगी जो अधिकांश विश्वविद्यालयों में हैं। उनमें केवल एक परिवर्तन अब किया जा रहा और वह यह कि विज़िटर जांच समिति नियुक्त करने से पहले विश्वविद्यालय को एक अवसर देगा ताकि वह उस सम्बन्ध में अभ्यावेदन भेज सके ।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के चीफ़ रेक्टर बने रहेगें। कोषाध्यक्ष का पद समाप्त करने का प्रस्ताव है। कोषाध्यक्ष के स्थान पर अब वित्त अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय का 99 प्रतिशत राजस्व सरकारी ख़जाने से आता है, अत: वित्त सम्बन्धी मामलों पर नियंत्रण रखने के लिये नियमित रूप से नियुक्ति करना अत्यावश्यक है। फिर उस पर कार्यकारी परिषद का नियंत्रण रहेगा क्योंकि वह केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल को जबाबदेह है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी कोषाध्यक्ष के स्थान पर वित्त अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

पहले विश्वविद्यालय का कोर्ट कुलपति का चुनाव करता था। अब हम प्रस्ताव कर रहे हैं कि विधान में व्यवस्था के अनुसार विज़िटर कुलपति को नियुक्ति करेगा। विधान में यह व्यवस्था है कि विज़िटर तीन नामोंकी तालिका में से कुलपति नियुक्त करेगा। उप-कुलपति नियुक्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख अधिनियम में किया गया है। धारा 18 में दो परिवर्तन किये जा रहे हैं। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद बनाने का प्रस्ताव है। विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय का सांविधिक प्राधिकरण होगा जिसके साथ विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद या कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय के नियमित जीवन को प्रभावित करने वाले किसी मामले के बारे में कोई नियम और विनियम और अध्यादेश बनाने से पहले परामर्श करेगा ।

इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कोर्ट की शक्तियों में परिवर्तन करने का है। हमारे विचार में यह कोर्ट एक ऐसा संगठन होना चाहिये जिसमें अध्यापक, विद्यार्थी और विद्यार्थियों के भावी नियोजक हों ताकि वे अध्ययन सम्बन्धी पाठ्यक्रम के बारे में अपना परामर्श दे सकें और दिशानिर्देशन कर सकें जिसका अनुसरण विश्वविद्यालय करे। इसमें भूतपूर्व विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिये ताकि वे अपने अनुभव के आधार पर परामर्श दे सकें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट की प्रस्तावित शक्तियां इस प्रकार होंगी :

विश्वविद्यालय की नीतियों और कार्यक्रमों का समय समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय में सुधार एवं विकास सम्बन्धी सुझाव देना, वार्षिक प्रतिवदन, विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार करना और संकल्प पारित करना तथा किसी भी मामले में विज़िटर का परामर्श देना जो उनके पास सलाह देने के लिये भेजा गया हो।

कार्यकारी परिषद का नाम मुख्य कार्यकारी निकाय रखा जा रहा है क्योंकि मुख्य बात यह है कि यथासम्भव अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण किया जाये परन्तु इसके साथ साथ समन्वय के प्रयोजन से कार्यकारी मामलों में निर्णय देने का अधिकार किसी और व्यक्ति को होना चाहिये। इसी प्रकार शिक्षा सम्बन्धी मामलों में शिक्षा परिषद के स्थान पर विश्वविद्यालय का मुख्य शिक्षा निकाय बनाने का प्रस्ताव है।

अध्यापकों को छोड़ कर विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों के लिये एक विवाचन न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है। यदि किसी विद्यार्थी का नाम काट दिया गया है और इस बात को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है तो वह अपना मामला न्यायाधिकरण के सामने पेश कर के सामान्य अवसर प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। यह व्यवस्था इस बात को ध्यान में रख कर की गई है कि विद्यार्थियों और अध्यापिकों को न्यायालयों में जाना पड़ता है और मुकदमेबाज़ी में बहुत अधिक समय लग जाता है।

उप-कुलपति का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा कर 5 वर्ष कर दिया गया है, परन्तु इसके साथ यह व्यवस्था भी है कि उसे एक और वर्ष के लिये पुनः चुना जा सकता है। पहले विभागाध्यक्षों को वरिष्ठता के अनुसार बारी-बारी डीन नियुक्त किया जाता था, परन्तु अब यह व्यवस्था की गई है कि उप-कुलपति फेकल्टी विशेष के प्रोफ़ेसरों में से डीन की नियुक्ति करेगा। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के वर्तमान नियमों के अनुसार वरिष्ठतम प्रोफ़ेसर विभागाध्यक्ष होता है। इसके स्थान पर अब यह व्यवस्था की गई है कि यदि एक से अधिक प्रोफ़ेसर हैं तो उप-कुलपति उनमें से एक को तीन वर्ष की विशिष्ट अवधि के लिये विभागाध्यक्ष नियुक्त करेगा और जहां केवल एक प्रोफ़ेसर है वहां उप-कुलपति प्रोफ़ेसर या रीडर को विभागाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। मैंने एक संशोधन का नोटिस दिया है कि विभागाध्यक्ष उप-कुलपति के बजाय कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किया जाये। दूसरी महत्वपूर्ण बात कोर्ट के गठन की है। इसकी सदस्य संख्या लगभग 104 होगी। इसमें पदेन सदस्य, उप-कुलपति, प्रत्युपकुलपति, डीन आफ़ फ़कल्टीज़, सभापति, विद्यार्थी परिषद, डीन आफ़ स्टुडेंट्स वेलफ़ेयर, प्रस्ताध्यक्ष, रजिस्ट्रार, 19 विभागाध्यक्ष, आदि शामिल होंगे।

विश्वविद्यालय के कोर्ट में विद्यार्थियों के 14 प्रतिनिधि है। साधारणतया विश्वविद्यालय में कोई राजनीतिक या शिक्षा सम्बन्धी मामले नहीं होते जिनपर अध्यापकों में मतभेद हों। अतः चुनाव के दौरान ऐसे मामले उठाये जाते हैं जिनका अध्यापक वर्ग पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इस लिये यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक वर्ग के लोगों को बारी बारी वरिष्ठता के अनुसार कोर्ट में शामिल किया जाय ताकि यथासम्भव अधिक से अधिक लोगों को सेवा का अवसर मिल सके। बाहर के लोगों में से भूतपूर्व विद्यार्थी (ओल्ड ब्वायस) ऐसोसिएशन के 10 प्रतिनिधि होंगे संसद सदस्यों के 5 और अध्यक्ष महोदय द्वारा तीन और राज्य सभा के सभापति द्वारा 2 व्यक्ति नामनिर्देशित होंगे। इसके अतिरिक्त, विद्वत समाज के 20 व्यक्ति विज़िटर द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे जिनमें उद्योग, वाणिज्य, व्यापार संघ, बैंकिंग और कृषि में रुचि रखने वाले प्रतिनिधि शामिल होंगे। गजेंद्रगड़कर समिति ने इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक

[प्रो० एस० नूरुल हसन]

विचार किया है। इन लोगों से अनुरोध करना होगा कि वे विश्वविद्यालय के कार्यकरण में रुचि लें। यदि पाठ्यक्रमों का आधुनिक आर्थिक गतिविधि के साथ तालमेल बिठाना है और विश्वविद्यालयों के अनुसन्धान कार्यों और देश की आर्थिक और विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के बीच अधिक समन्वय लाना है तो उनका परामर्श बहुमूल्य सिद्ध होगा। इन लोगों को कोर्ट में नामनिर्देशित करने की शक्ति विश्वविद्यालय के विज़िटर को दी गई है, क्योंकि हम इनसे यह आशा नहीं कर सकते कि वे विश्वविद्यालय के कोर्ट के लिये होने वाले चुनावों में अपने आप को पेश करें। कार्यकारी परिषद में उप-कुलपति प्रत्युपकुलपति-पांच डीन, एक प्रिंसिपल, एक प्रोफ़ेसर हैं। अब इस परिषद में शिक्षा परिषद द्वारा चुने गये तीन अध्यापक भी होंगे जिनमें कम से कम एक प्राध्यापक होगा। इनके अतिरिक्त, इस में विश्वविद्यालय के कोर्ट द्वारा निर्वाचित तीन व्यक्ति होंगे जो न कर्मचारी और न ही विद्यार्थी होंगे। हम चाहते ह कि विश्वविद्यालय चलाने की ज़िम्मेदारी अध्यापकों को सौंपी जाय और उनके साथ विद्यार्थियों का भी योगदान हो।

अब अध्यापक संघ, कर्मचारी संघ और विद्यार्थी संघ को सांविधिक दर्जा देने की व्यवस्था की गई है। हमने विश्वविद्यालय को आवश्यक अध्यादेश बनाने का अधिकार दिया है। आशा है कि विश्वविद्यालय इन निकायों के विधान को ध्यान में रखगा और उनका उल्लेख अध्यादेशों में करेगा।

यह मांग की गई है कि इस विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्था घोषित कर दिया जाये। यह मांग न राष्ट्रीय हित में है और न ही विश्वविद्यालय के हित में और मेरे विचार में यह मुस्लिम समुदाय के हित में भी नहीं है। जनता के प्रत्येक वर्ग के शक्षिक विकास की ज़िम्मेदारी राज्य की है। केन्द्रीय सरकार किसी समुदाय विशेष के लिये पृथक संस्था नहीं चला सकती।

सरकार इस विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक स्वरूप को नहीं बदलना चाहती। प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक अपना सांस्कृतिक वातावरण बन जाता है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय का एक अपना विशिष्ट वातावरण है और हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते परन्तु परम्परा के नाम पर प्रगति नहीं रुक जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अलीगढ़ मस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री समर गुह (कंटाई) : सरकार इस विधेयक को पास करने के लिये बहुत जल्दबाजी कर रही है। इतने कम समय में सरकार ने 30 संशोधन प्रस्तुत किये हैं। क्या सरकार को इतनी जल्दबाजी करनी चाहिये ?

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव (कटिहार) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री फूलचन्द वर्मा (उज्जैन) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोझीकोड) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुहम्मद खुदा बख्श (मुर्शिदाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 134 प्रस्तुत करता हूं।

***श्री जगदीश भट्टाचार्य** (फाटल) : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक को प्रस्तुत करने में जल्दबाज़ी की गई है। एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित होने के नाते यह विधेयक इस प्रकार के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेगा, यदि इसके दोषपूर्ण उपबन्धों को हटाया न गया तो इसका

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

प्रभाव अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर भी पड़ेगा। विधेयक की महत्ता को देखते हुए, इस पर विचार करने हेतु पर्याप्त समय मिलना चाहिए और इसे सर्व प्रथम प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो बाद में संशोधन लाना आवश्यक हो जाएगा, आज सबेरे तक इस संबंध में अनेक संशोधन लाए गये हैं अतएव इसे प्रवर समिति को न भेजने का तात्पर्य शिक्षा और विश्वविद्यालय के प्रति उपेक्षा बरतने से होगा।

वस्तुतः यह विधेयक बहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों में घटी कुछ घटनाओं का वर्णन किया है। साम्प्रदायिकता केवल कानून पारित करने से समाप्त नहीं हो सकती। जब तक एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बनाई जाती तब तक इस समाचार को प्रभावी रूप से दूर नहीं किया जा सकता। विधेयक के खंड 4(दो)(ख) में जोड़ा जाने वाला "भारत के धर्म, सभ्यता तथा संस्कृति के अध्ययन को बढ़ावा देना" वाक्य में धर्म शब्द, अनावश्यक है। इसलिए यह प्रावधान जोड़ा जाना नितांत असंगत है। मेरा यह भी सुझाव है कि खंड 11(क) के स्थान पर "गैर शिक्षण पदों को बनाना तथा उन पर नियुक्तियां करना" रखा जाये। इनके अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पद पर तथा लिपिक का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार विधेयक के खंड 15 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उस तिथि से, जबसे उसके विरुद्ध कोई निर्णय किया गया है, 15 दिन के अंदर कार्यकारी परिषद में अपील कर सकता है। मैं समझता हूं कि 15 दिन के स्थान पर 3 महीने रखा जाए। यह देखना ही पर्याप्त नहीं है कि संबंधित व्यक्तियों को शिकायतें प्रस्तुत करने का मौका मिले अपितु उनकी जांच करने का भी व्यवस्था होनी चाहिए। गजेन्द्रगड़कर आयोग ने यह शिफारिश की थी कि विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा होनी चाहिए परन्तु मंत्री महोदय ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया है, वर्तमान विधेयक में कार्यकारी परिषद की तो व्यवस्था की गई है परन्तु जांच समिति की स्थापना की कोई बात नहीं की गई है। शिकायतें प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरे विचार में वर्तमान विधेयक के खंड 32, 33 और 34 अनावश्यक हैं क्योंकि ये अलोकतंत्रीय स्वरूप के हैं। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की यूनियनें हैं और उनके अपने संविधान हैं। ये संविधान लोकतंत्रीय हैं और विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत हैं। इसलिए मेरी समझ में यह नहीं आता है कि वर्तमान व्यवस्था को क्यों भंग किया जा रहा है। खंड 32(3) के अन्तर्गत अध्यादेश द्वारा एसी यूनियनों का गठन करने का प्रावधान पूर्णतया लोकतंत्रीय नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन में कम वेतन भोगी कर्मचारी हैं, इसलिए अभ्यावेदन हेतु उन्हें मान्यता नहीं दी गई है। इस आधार को प्रस्तुत करना अन्यायपूर्ण है कि ये कर्मचारी अशिक्षित हैं अतएव कोर्ट के समक्ष अपने मामलों पर वे बहस नहीं कर सकते हैं। ये कर्मचारी अध्यापकों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि विश्वविद्यालय के कम वेतन भोगी कर्मचारियों को भी कोर्ट में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अध्यापकों के प्रतिनिधित्व के मामले में भी आयु और वरिष्ठता का आधार नहीं अपनाया जाना चाहिए। प्रत्यक संकाय से अध्यापकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो कुछ संकायों को मिलाकर एक निर्वाचक मंडल बनाया जा सकता है और उससे प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। गजेन्द्रगड़कर समिति ने यह सिफारिश की है कि संकाय के डीन का चयन वरिष्ठ प्रोफेसरों में से वरीयता के आधार पर किया जाना चाहिए और यह बारी बारी से दो वर्ष के लिए होना चाहिए। परन्तु सरकार ने समिति की सिफारिशों को पुरी तरह से स्वीकार न करके केवल उन्हीं को स्वीकार किया है जो उसके हित में हैं।

विधेयक में कहा गया है कि कार्यकारी परिषद प्रोवाइस चासंलर को नियुक्त करेगी, क्या यह आवश्यक है कि परिषद द्वारा नियुक्त प्रोवाइस चासंलर उपकुलपति के साथ मिलकर कार्य कर सकेगा? इसके अतिरिक्त, उपकुलपति की सिफारिश पर नियुक्त करने की प्रक्रिया से पक्षपात को बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा उपदान, भविष्य निधि आदि के बारे में प्रस्तुत संशोधन स्पष्ट नहीं है अतएव इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए।

मैं वार्धक्य निवृत्ति के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। विधेयक में सुझाव दिया गया है कि 60 वर्ष की आयु के पश्चात् प्रोफेसर की सेवा अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है परन्तु वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यह वृद्धि 5 वर्ष तक की है। अतएव यह प्रावधान अध्यापकों के लिए बहुत कठोर है। विधेयक में निहित

[श्री जगदीश भट्टाचार्य]

त्रुटियों को देखते हुए इसको प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए ताकि वहां इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हो।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलढ़ाना): मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए एक पूर्ण विधान की व्यवस्था करने के लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। इस विधेयक को हमारा समर्थन मिलना चाहिए। इस विधयक की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, इसका ढांचा लोकतांत्रिक है और दुसरा इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय में निर्वाचनों की संख्या न्यूनतम कर दी गई है। हमें अनुभव है कि निर्वाचनों से विश्वविद्यालय का वातावरण दूषित हो जाता है इसलिए इस प्रकार का कदम उठाया गया है।

इस विधेयक का विवादास्पद विषय धारा 12 क को समाप्त करना है जिसके अनुसार पहले विश्वविद्यालय के अधीन नए कालेज लाए जा सकते थे। ऐसा गजेन्द्रगड़कर समिति की सिफारिश के अनुसरण में किया गया है। विधेयक में विश्वविद्यालय को साम्प्रदायिक रुप नहीं दिया गया है। क्योंकि प्रथम यह केन्द्रीय विधान के अंतर्गत स्थापित की गई थी और दूसरा, इसकी वित्तिय आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्रीय राज कोष से की जाती है। इन दो कारणों से इसे साम्प्रदायिकता का रूप नहीं दिया जा सकता। गजेन्द्रगडकर समिति ने विश्वविद्यालय को एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बनाए रखने की सिफारिश की है, समिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने देश की विश्वविद्यालयी शिक्षा पद्धति को एक नई दिशा देनी है तथा उनके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना है। राज्य के विश्वविद्यालयों को अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करना होता है जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अखिल भारतीय संस्था के रुप में कार्य करता है। इस विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यकों के लिए बनाने का प्रयास इसकी महत्ता को कम कर देगा और केन्द्रीय राजकोष इसके रखरखाव तथा विकास के लिए धन की व्यवस्था न कर सकेगा, यह आशा की गई है कि अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भांति अलीगढ़ विश्वविद्यालय देश में विद्वान पैदा करेगा तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा।

इस विधेयक में एक दोष यह है कि इसमें विश्वविद्यालय में विशिष्ट व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है। यहां विज़िटर, कुलपति, उपकुलपति, चीफ रेक्टर आदि हैं जिनका कार्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे विचार में इनकी संख्या कम की जा सकती है।

विधेयक में निहित विश्वविद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लेने की व्यवस्था एक सराहनीय कदम है। परन्तु मेरे विचार में, विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों की संख्या गजेन्द्रगडकर समिति की सिफारिशों से कहीं अधिक है। यदि इनकी संख्या अधिक कर दी जाती है तो कोर्ट में प्राध्यापक जैसे अन्य लोग क्या करेंगे ?

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : This Bill has come after waiting for 7 years. There is no doubt that the objective of setting up this University was to give modern education to the Muslims. It was set up with assets amounting to Rs. 30 lakhs pertaining to the property of Anglo-Mohammedan College.

As you know, the aim of the university was to impart education to the ill-educated section of Muslims and to acquaint them with the modern world. The Aligarh Muslim University has been an example of secularism. The first graduate to come out of it was a Hindu. It has turned out a large number of patriots like Late Rafi Ahmed Kidwai, Dr. Jakir Hussain, Raja Mahendra Pratap etc. when Mahatma Gandhi called upon the nation to observe Non-Cooperation, the people like Shri S. K. D. Paliwal and Rafi Ahmed Kidwai, who were students of this University, responded to the call. Old students of this University played an important role in bringing Socialism in India.

As I said earlier, this University was set up for giving education to the Muslims. Such institutions are a must to acquaint the Muslims of this Country with modern life. The Government should help it with an open heart and change those rules which stand in the way of the progress of the University.

The Students of this University are disciplined and do not take resort to strikes. But it is a fact that a section of Muslims incite them to serve their own purposes and make them victims of communalism. It is a matter of great pleasure that the percentage of Hindu Students has increased to more than 40. The Staff of many faculties consists of a good number of Hindus and in some faculties they are in majority. There is no such legislation as to say that the post of Vice-Chancellor is meant only for Muslim. It is true that Muslims have great attachment with this University but it has not become their property. This University has not lost its secular character. Now this will emerge as Modern University and set an example of secularism. No one can hamper its progress. One thing I want to emphasize. The students of this University have to face great difficulties when they come out for jobs. Absurd questions are put to them which do not conform to a secular State. Moreover, discrimination is done against the students of this University in giving jobs. I want the Government to look into this matter.

Some people wish a Hindu to be a Vice Chancellor of Aligarh University. I can say that there are Hindus who are more capable of looking after the interests of Muslims. But I want to know about Banaras University where the Muslim students and teachers have no stakes or representation. I hope a similar Bill will be brought for Banaras University also. The words Hindu and Muslim should be deleted from Banaras Hindu University and Aligarh Muslim University respectively. These words do not do any good to students. The Aligarh Muslim University is criticized by many people. But reports of many Committees, instituted by the Government to look into its affairs, have dispelled all fears and suspicions of that kind.

Under these circumstances, the introduction of the Bill is welcome. Muslims have great attachment for this University and they have sacrificed a lot to uphold the Character of the University.

Representation should be given in the university Court to women, Harijans and Non-teaching staff. Similarly there should be 10 seats for Members of Parliament, instead of 6 as provided for in the Bill.

श्री मुहम्मद खुदा बख्श (मुर्शिदाबाद) : इस विधेयक के अनेक संशोधन भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन सब का अध्ययन करने और मूल विधेयक के साथ तुलना करने के लिए हमें समय नहीं दिया गया। इस प्रकार के विधेयकों पर विचार से पूर्व हमें धर्मार्थ न्यासों के मूल को विचार में रखना चाहिए। आज भी भारत में इस बात पर विश्वास किया जाता है कि धर्मार्थ न्यास के संस्थापक की भावनाओं का आदर करना चाहिए। सरकार भी इस बात को स्विकार करती है। अत: मेरा विश्वास है कि विधेयक तयार करते समय सरकार ने धर्मार्थ न्यास के संस्थापक की भावनाओं का समूचित आदर किया होगा।

इस सदन में यह भावना पैदा कर दी गई है कि सारे भारत के मुसलमानों का यह विचार है कि इस विधेयक के द्वारा उनसे कुछ छीना जा रहा है जो अब तक उनके पास था। यदि इस विधेयक का अभिप्राय यही है तो मैं इसका विरोध करता हूं। इस विचार से मैंने कुछ संशोधनों की सूचना दी है। यदि सरकार लोगों की आशंकाओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दे तो मैं अपने संशोधन वापस लेने को तयार हूं।

[श्री मुहम्मद खुदा बख्श]

सरकार ने विश्वविद्यालय के कार्यकरण के अध्ययन के लिए गजेन्द्रगडकर समिति की नियुक्ति की। विश्वविद्यालय ने 'चटर्जी समिति' के नाम से एक जांच समिति गटित की। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान विधेयक में दोनों समितियों की अच्छी बातों का समावेश किया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि दोनों समितियों की अच्छाईयों और इस विश्वविद्यालय की विशष स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसकी भलाई के उपाय करें।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : इस विश्वविद्यालय की स्थापना ब्रिटिश शासन काल में हुई थी। उस समय मुसलमान जाति उपेक्षित अवस्था में थी और देश के प्रशासन में उन्हें पूरा भाग नहीं दिया जाता था।

इस संस्था के संस्थापक के मन में यह भावना थी कि मुसलमान जाति को आधुनिक बनाया जाये जिससे कि ब्रिटिश शासन के लाभ उस जाति को भी प्राप्त हो सकें। इसके साथ ही वह इस संस्था को 'मुसलमान' स्वरूप देना चाहते थे। यह कोई गलत बात न थी क्योंकि इसे देश में अन्य धार्मिक सम्प्रदायों की भी अपनी शिक्षा संस्थाएं हैं। जिनमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है।

उग्र पंथी हिन्दुओं द्वारा समय-समय पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विरुद्ध कहा जाता है कि यह विश्वविद्यालय मुस्लिम साम्प्रदायिकता का गढ़ है। मेरा यह मत है कि यह गलत धारणा है। साम्प्रदायिकता की बीमारी इस देश में साम्राज्यवादीयों ने फैलाई। अपने शासन को यहां पर बनाए रखने के लिए उन्होंने यहां के लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बाटा।

इस प्रकार की विचारधारा से प्रभावित कुछ व्यक्ति इस संस्था में घुस गए हैं। अनेकों अन्य संस्थाओं में भी तो जातिवाद और साम्प्रदायिकता व्याप्त है। अतः केवल इसी आधार पर इस विश्वविद्यालय का विरोध करना न्यायसंगत नहीं है। अनेक कठिनाइयों के बावजूद इस विश्वविद्यालय ने अनेक देशभक्त पैदा किए हैं।

मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा भी इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके परिणामस्वरूप इस संस्था का 'मुस्लिम' स्वरूप समाप्त हो जायगा। जो लोग पृथक संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं वे न तो इस जाति की भलाई की बात सोच रहे हैं और न ही इस देश की भलाई को विचार में रख रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र तथा समाजवाद की विचारधारा का प्रचार किया जाये।

इस विधेयक के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए जा रहे हैं। पहले के विधेयक के अनुसार इस विश्वविद्यालय में मुसलमान धर्म, संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन की व्यवस्था की परंतु अब इसके स्थान पर भारत के धर्म, संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन की व्यवस्था की जा रही है।

जो लोग यह कहते हैं कि 'मुस्लिम स्वरूप' को समाप्त किया जा रहा है उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि विधेयक के अनुसार विश्वविद्यालय में मुसलमान धर्म की 'शिया और सुन्नी' दोनों शाखाओं मुसलमान धर्म के अध्ययन की व्यवस्था है। अन्य धर्मों के अध्ययन की व्यवस्था को देख कर डरने की कोई बात नहीं उठनी चाहिये।

विधेयक के द्वारा विश्वविद्यालय में 'पश्चिम एशिया' से संबंधित अध्ययन की व्यवस्था की जा रही है। पश्चिम एशिया पाकिस्तान से लेकर सीरिया तक फैला है। जब विश्वविद्यालय में इस्लाम धर्म और इस्लाम इतिहास की व्यवस्था है तो उसके साथ "पश्चिम एशिया" से संबंधित अध्ययन की अलग से व्यवस्था उचित नहीं। इसके स्थान पर सारे एशिया से संबंधित अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिये अन्यथा कुछ लोगों को यह कहने का आधार मिलेगा कि इस विश्वविद्यालय का मुस्लिम स्वरूप बनाए रखा जा रहा है।

1965 के विधेयक में एक उपबन्ध यह था कि अलीगढ़ के कालेज इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो सकते थे। परंतु इस उपबन्ध को वर्तमान विधेयक से हटा दिया गया है। इस विधेयक के विरोधियों का यह तर्क है कि इस उपबन्ध को इस कारण हटाया गया है कि यदि अलीगढ़ के अन्य कालेज इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिये गये तो इसका स्वरूप बदल जायेगा। वास्तव में मैं इस बात का समर्थक हूं कि रिहाइशी विद्यालयों के साथ अन्य कालेज सम्बद्ध नहीं किए जाने चाहियें।

इस विधेयक की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति, उप-कुलपति और प्रो-उप-कुलपति की नियुक्ति के संबंध में चुनाव और चयन की पद्धति को बदल कर जो दूसरी पद्धति अपनाई गई है उसके द्वारा राजनैतिक पैंतरेबाजियां कम हो जाएंगी।

इस प्रकार इस विधेयक के द्वारा मुस्लिम समुदाय आज के युग में राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में आ सकेगा। पृथक रहने अथवा संकुचित रहने की भावना इसके द्वारा समाप्त होगी। अतः मुसलमानों को इस विधेयक का स्वागत करना चाहिये।

***श्री सी० टी० दण्डपाणि** (धारापुरम्) : यद्यपि इस विधेयक का संबंध अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ढांचे से है पर इसके अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। अल्प सम्प्रदाय के लिए इस विश्वविद्यालय का विशेष महत्व है। अतः हमें उनके संशयों को समझना तथा उन्हें दूर करना चाहिये। मेरे दल का विश्वास है कि भारत में अल्पमत सम्प्रदायों के मतों की रक्षा होनी चाहिये। यह हमारे देश के हित में है। अतः उनके संशयों को दूर करने के पश्चात् ही इस प्रकार के विधेयक पास किये जाने चाहियें।

विधेयक प्रस्तुत करते समय, शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह विधेयक बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय अधिनियम के आधार पर बनाया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें दोनों विश्वविद्यालय के अन्तर को ध्यान में रखना चाहिये। यह विश्वविद्यालय अल्पमत सम्प्रदाय के हितों के साथ सम्बद्ध है। अपनी कठिनाईयों को वह सम्प्रदाय स्वयं ही समझ सकता है। अतः केवल इतना कहना उचित नहीं कि यदि इस बारे में इस सम्प्रदाय की मांग स्वीकार कर ली जाएगी तो अन्य सम्प्रदाय भी ऐसी मांग प्रस्तुत करने लगेंगे।

सरकार ने इस विधेयक को लाने में बहुत अधिक समय लिया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि इस देरी का कारण कुछ विशेष बातें थीं जो सरकार के नियन्त्रण से परे थीं। मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं और फिर इतना समय लेने के उपरान्त इसे पारित करने में इतनी शीघ्रता की जा रही है। बहुत से सदस्यों ने मांग की है कि या तो इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए अथवा इस पर अगले सत्र में विचार हो। यदि ऐसा किया जाए तो सदस्यों को इस विधेयक का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है।

शासी परिषद्, शैक्षिक परिषद आदि उपबन्ध इस विधेयक की विशेषताएं हैं। यह विशेषताएं स्वागत योग्य हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासन में विद्यार्थियों को भी समुचित अवसर प्रदान करने के उपबन्ध हैं। परंतु कुछ अवस्थाओं में इस प्रकार के उपबन्ध की और अधिक आवश्यकता थी। शैक्षिक परिषद में तो विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है परंतु शासी परिषद में, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय की अधिकतर नियुक्तियां की जानी हैं, विद्यार्थियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

शिक्षा परिषद् का मुख्य कार्य विश्वविद्यालयों की शिक्षा सम्बन्धी नीतियां निर्धारित करना तथा शिक्षण पद्धति और शिक्षा के स्तर में सुधार करना बताया गया है। इस प्रकार की परिषद में छात्रों का प्रतिनिधित्व वास्तव में आश्चर्य की बात है। क्या यह छात्रों का कार्य है कि वे परिषद् को बतायें कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिये तथा उनके लिये पाठ्यक्रम क्या होना चाहिये? परिषद् के सदस्य बन जाने पर ऐसे मामलों

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री सी. टी. दण्डपाणि]

में अपना मत देने का उन्हें अधिकार प्राप्त हो जाता है । वित्त समिति, कार्यकारी परिषद् में जहाँ उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये वहां उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है । जहाँ उनकी आवश्यकता नहीं है वहाँ उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाता है । शिक्षा सम्बन्धी नीतियां, शिक्षण पद्धति तथा पाठ्यक्रम आदि निर्धारित करना शिक्षकों का कार्य है क्योंकि इस कार्य के लिये वे ही योग्य होते हैं । अतः शिक्षा परिषद् में छात्रों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिये ।

साम्यवादी दल के कुछ मित्रों ने विश्वविद्यालय कोर्ट में मजदूर संघों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही है । विश्वविद्यालय कोर्ट तथा मजदूर संघ के बीच क्या सम्बन्ध है, मेरी समझ में नहीं आता । मजदूर संघों के नेताओं ने देश के उत्थान के सम्बन्ध में कभी किसी ठोस कार्यक्रम पर विचार नहीं किया है । मजदूर संघों को विश्वविद्यालय कोर्ट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिये । यदि कर्मचारियों को कोई प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो प्रतिनिधि विश्वविद्यालय कर्मचारी संघों से चुने जाने चाहियें ।

जैसा कि बहुत से सदस्यों ने मांग की है, विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजना चाहिये जिससे समिति के सदस्य प्रतिभाशाली शिक्षाविदों के विचार जान सकें तथा उन लोगों के विचार भी जान सकें जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कल्याण में रुचि रखते हैं ।

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : मंत्री महोदय ने बताया है कि इस विधेयक से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसका ऐतिहासिक रूप भी जैसे का तैसा बना रहेगा । यह भी बताया गया है कि यह एक स्थानीय विश्वविद्यालय रहेगा, अन्य कालिज इससे सम्बद्ध नहीं किये जायेंगे । अतः मैं ऐसा महसूस करता हूं कि संदेहों के आधार पर संशोधन करने का भार वहन किया जा रहा है जो उचित नहीं है । इस संशोधन से यह बात ज्ञात होती है कि हमें अपने आप में विश्वास नहीं है ।

इस विश्वविद्यालय को मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग का विश्वविद्यालय घोषित करने में मुसलमानों का भी हित नहीं है ।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना का कारण यह था कि भारत के मुल्ला मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों के लिए आधुनिक शिक्षा पसंद नहीं करते थे, अतः इन लोगों के हितों की रक्षा के लिये इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई । जिससे मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा मिल सके । इस विश्वविद्यालय ने भूतकाल में बहुत सुन्दर कार्य किया है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी पैदा किये हैं । इस विश्वविद्यालय को अपना स्तर बनाये रखने के लिये राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय होना आवश्यक है ।

पंडित जवाहरलाल नेहरु ने इलाहाबाद में एक बार स्नातकों के सम्मुख भाषण करते हुए कहा था कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य मानवजाति विकास पथ पर अग्रेसर करना है । उनके इन शब्दों का संदर्भ गजेन्द्रगडकर आयोग के प्रतिवेदन में दिया गया है । हमारी आजकी आवश्यकतायें अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्थापना काल की आवश्यकताओं से भिन्न हैं । उस समय देश को बुद्धिजीवियों की आवश्यकता थी, अच्छे छात्रों की आवश्यकता थी जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सफल हो सकें । उस समय सचिवालय के लिये कुछ लिपिकों की भी आवश्यकता थी । परन्तु आज हमारी आवश्यकतायें बड़ी जटिल हैं । आज हम समानता वाले समाज के लिये संघर्ष कर रहे हैं । आज हमें तकनीशनों की आवश्यकता है, ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो रोजगार प्रधान शिक्षा प्रदान कर सकें । आज मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ को वही कार्य करना चाहिये जो राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सके । अन्य कार्य क्षेत्रीय स्तर पर किये जाने चाहियें । उदाहरण के लिये, आज हमें डाक्टरों, इंजीनियरों, तकनीशनों की आवश्यकता है । यह कार्य विभिन्न क्षत्रों में स्थित राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाना चाहिये ना कि समस्त देश के लिये केवल एक ही विश्वविद्यालय द्वारा । आज राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर के सभी विश्वविद्यालयों को हमारी आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली, हमारा विकास करने वाली शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिये

आज शिक्षित तथा अशिक्षित लोगों को रोजगार की आवश्यकता है । हमने विकास कार्य आरम्भ किये है जिनसे लोगों को रोजगार मिल सके । हमें देश के समग्र चित्र को देखकर आगे बढ़ना है ।

यह पूछा गया है कि विधेयक को प्रवर समिति के पास क्यों नहीं भेजा गया । 18 मई को छात्रों ने कहा था कि विधेयक तुरन्त पारित किया जाना चाहिये अन्यथा वे परीक्षाओं में नहीं बैठेंगे । परीक्षायें पीछे हटायी गयीं । स्वर्ण जयन्ती समारोह पीछे हटाया गया । अतः आज इस विधेयक पर चर्चा करना तथा इसे पारित करना उचित है ।

यदि हम शताब्दियों पुरानी विचारधारा के पीछे पड़े रहेंगे तो विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते । जो आज हम जानते हैं कल को वह पुराना हो जायेगा : अतः बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों को देश के विकास के लिये मिलकर कार्य करना है । आज हमें 'हिन्दू' तथा 'मुस्लिम' शब्द को भूल जाना होगा । हमारा एकमात्र उद्देश्य भारत का विकास होना चाहिये ।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : This is an important Bill, There is unrest in the Universities of the Country to day. Education is a Subject of national importance, therefore it should not be the exclusive responsibility of the States. In view of this, the Government should have tried to bring a Bill which could prove a guideline to all the Universities. This bill has been brought in haste without giving thought to the problems of all the Universities. We have not been given enough time for its thorough study.

The trouble in Aligarh Muslim University started because of its minority character. During these 25 years of independance, the Government could not decide as to what they meant by the minority. A man because of the reason that he does not belive in idol worship can not be considered a member of minority Community. Jainis, Aray Samajis and Sikhs do not believe in idol worship, still they are not minority Community and are Hindus as defined in Article 25 of the Constitution. Attention should be paid towards this matter and the Government should try to give one name to the Indian nationals call them either, Hindus, Indians or Aryas. Until we take this matter seriously such a problems can not be eradicated. How is it known that we are Indian nationals? It is our culture which denotes this. Therefore, we should try to evolve a uniform culture, which may reflect citizens of the Country as Indians and nothing beyond that. Altering the name will not do we are to change the attitudes. We are not to live on prejudices., we should try to understand ourselves and nourish a feeling of Co-operation and brotherhood.

I would like to know as why all the three Colleges in Aligarh are not being affiliated to Aligarh Muslim University? In Aligarh University there are 8 thousand stundents, and the grant given by the Government goes to the extent of Rs. 5,36,25,000. Other three Colleges having a strength of 5,325 students get a grant of Rs. 5,86,000. There is a wide disparity in per capita grant amount the University and the College Students in Aligarh. Besides, common students can not utilize big library and good laboratories, intelligent lecturers. Why they are being deprived of thesefacilities? Affiliation of the Aligarh Colleges with Agra University and not with Aligarh University means a foul play..... (*Interruptions*).

As regards its residential Character I would like to say that 50 per cent of the students are not hosteliers, they come from outside then what is the Justification in making it a residential University.

[Shri Jagannath Rao Joshi]

We should have all types of education in a University. No faculty should remain untouched. It is only then that we can have a broader perspective in life. If we are there in a minority Community we cannot have broader perspective. Therefore, the Article 12 should not be deleted. We are to live as a nation, we are to develop the feelings of Co-operation and brotherhood. Separatist tendancy will be to the total detriment not only of the country but also of the minority Community. The Hon. Minister has also accepted that the minority character of the University is not in the larger interests of the Community.

We should give a serious thought to each provision of the Bill. The Bill as at present, should be referred to select committee and the House should be given enough time in the next session for detailed discussion on it.

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने मुझे इस चर्चा में भाग लेनेका अवसर दिया है उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। इस वादविवाद में विधेयक के उपबन्धों, शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा देश की राजनीति के सम्बन्ध में चर्चा हुई है। मैं विधेयक के उपबन्धों के विषय में विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि शिक्षा मंत्री इस विषय पर अपने विस्तृत विचार रख चुके हैं। श्री सैयद अहमद आगा ने अपने स्पष्ट भाषण में विधेयक की मुख्य बातें सदन के समक्ष रखी हैं। अभी मैंने माननीय मित्र श्री जोशी का वक्तव्य सुना। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि विधेयक में संस्था के अल्पसंख्यक गुण को बनाये रखा गया है इसके विपरीत दूसरी ओर कुछ लोगों ने हमारे ऊपर संस्था के अल्पसंख्यक गुण को समाप्त करने का आरोप लगाया है। यह बहुत हैरानी की बात है कि एक ही विधेयक से दो अतिवादी निष्कर्ष कैसे निकाल लिये गये हैं। अतः इससे तो यही लगता है कि यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह विधेयक को किस दृष्टि से पढ़ता है।

वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की ऐतिहासिकता को बनाये रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा के आधुनिक विचारों को भी उचित स्थान दिया गया है। परन्तु मेरे माननीय मित्र श्री जोशी जी ने 'धर्मनिरपेक्षता' का जो लक्षण प्रस्तुत किया है उससे उन्होंने अल्पसंख्यकों को बिलकुल भुला दिया है। जब श्री जोशी जैसे सुशिक्षित लोग देश में एक समानता की बात करते हुये . . .

श्री जगन्नाथराव जोशी : मैंने कभी एक समानता की बात नहीं की है मैंने तो समीकरण की बात की है।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : एक समानता क्या होती है ?

श्री जगन्नाथराव जोशी : मैंने यह शब्द नहीं कहा था।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : आपने इसी शब्द का प्रयोग किया था।

श्री जगन्नाथराव जोशी : आप यदि मेरे बताये हुये लक्षण से सहमत नहीं हैं, तो मेरे ऊपर आरोप तो न लगाईये।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : इस के साथ ही श्री जोशी ने देश की एकता का आधार संस्कृति को बताते हुये इसका लक्षण प्रस्तुत करने का भी प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में असमानता है . . (व्यवधान)

श्री जगन्नाथराव जोशी : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब क्या हो रहा है। सदन की कार्यवाही ऐसे नहीं चल सकती। जब आप बोल रहे थे, तो आपको किसी ने नहीं टोका था।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में बोलते हुए श्री जोशी ने अली यावर जंग और विश्वविद्यालय की सुधार विरोधी बातों आदि का उल्लेख किया। मैं चाहता हूं कि हमें अपने समाज से रुढ़िवादिता समाप्त कर देनी चाहिये ...

श्री जगन्नाथराव जोशी : मैंने एक विश्वविद्यालय की नहीं, सभी विश्वविद्यालयों की बात की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो सदन के पुराने सदस्य है। आप बार बार सदन की कार्यवाही में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं।

श्री जगन्नाथराव जोशी : यह आरोप लगा रहे हैं...

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मैं आरोप नहीं लगा रहा। एक विशेष विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुये इन्होंने अली यावर जंग का उल्लेख किया था...

श्री जगन्नाथराव जोशी : मैं यह सब नहीं सुन सकता। मैं सदन से बाहर जाता हूं।

[**इसके पश्चात् श्री जगन्नाथराव जोशी सदन से उठकर चले गये।**
SHRI JAGANNATH RAO JOSHI *then left the House*]

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा (भीलवाड़ा) : हम यह नहीं सुन सकते।

[**इसके बाद श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा भी सदन से उठकर चले गये।**
SHRI HEMENDRA SINGH BANERA *then left the House*]

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मैं उनके वक्तव्य का और अधिक उल्लेख नहीं करूंगा। उनका सदन से बाहर जाना तो ठीक नहीं है।

Dr. Laxminarain Pandeya : Mr. Deputy Speaker, Sir, a certain thing which has not been stated, should not be quoted.

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : वास्तविक समस्या यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विभिन्न लोग विभिन्न अर्थ लगाते हैं। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व मुसलमान नेता, मुसलमान लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में काफी चिन्तित थे। सर सैय्यद अहमद खान का विचार था कि मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने और उनकी सभ्यता व संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए किसी संस्था का होना अनिवार्य है। इसी विचार को लेकर एक समिति बनी और इस विश्वविद्यालय का गठन हुआ। अतः इस सम्पूर्ण प्रयास के पीछे यही उद्देश्य था कि मुसलमान समाज ज्ञान अर्जित करने और अपनी संस्कृति का विकास करने में किसी प्रकार पीछे न रहे। तभी से यह संस्थान मुसलमानों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा है। हमारे देश के इतिहास में इस विश्वविद्यालय का अपना विशेष स्थान रहा है।

अब यह विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जिस पर केवल मुसलमानों को ही नहीं अपितु सभी लोगों को गर्व है। अतः इस संस्थान के केवल भूत को ही न देखते हुये हमें इसके वर्तमान और भविष्य की ओर भी ध्यान देना चाहिये। वर्तमान विधेयक का उद्देश्य इस विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा का एक आदर्श शिक्षा संस्थान बनाना है। हमने कभी भी इस संस्थान की ऐतिहासिकता की अवहेलना नहीं की है।

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने इस विधेयक के सिद्धांतों की व्याख्या सदन के समक्ष कर दी है। मैं भी यही स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज की परिस्थितियां उन परिस्थितियों से कहीं भिन्न हैं जब कि इस विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। उस समय यह विश्वविद्यालय केवल मुसलमानों की शिक्षा का ही आदर्श संस्थान हुआ करता था परन्तु अब अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना से हिन्दू, मुस्लिम, सिख और पारसियों में कोई भेदभाव नहीं रहा। यह सभी लोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे देश में सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हैं जिसके लिए देश में 60 से अधिक विश्वविद्यालय हैं।

यह प्रश्न भी उठाया गया कि मुसलमान शिक्षा में पिछड़े हुये हैं। परन्तु अकेले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही, सभी मुसलमान लड़कों की शिक्षा की अवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को कुछ न कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। यह शिकायत भी की गई है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को रोजगार आसानी से नहीं मिल पाता। इस का प्रमुख कारण तो यही है कि हमें इस विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना होगा और वर्तमान विधेयक का एक उद्देश्य यह भी है।

गजेन्द्रगड़कर समिति की सिफारिशों के अनुसार हम यह भी नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियां केवल आपसी संघर्ष में ही उलझी रहें। प्रत्येक को अपने दायित्व का पालन करना चाहिये। यह सिद्धांत केवल अलीगढ़ विश्वविद्यालय पर ही नहीं अपितु सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होता है। लोगों को सम्भवत : यह समझने में गलतफहमी हुई है। उन्होंने यह समझ लिया है कि सम्भवत: न्यायालय से कुछ अधिकार वापिस लिय जा रहे हैं। जिन लोगों का विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध रहा है, वह इस तथ्य का अनुमोदन करेंगे कि विश्वविद्यालय के सभी निकायों तथा शिक्षा परिषद्, कार्यकारी परिषद् तथा न्यायालय में अक्सर झगड़े चलते रहते हैं, जो कि सभी प्रकार के असंतोष का मूल कारण होते हैं।

चर्चा के दौरान विधेयक से सम्बद्ध तीन या चार मांगें भी उठाई गई हैं। इन में से प्रश्न श्री जोशी द्वारा विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक गुण से सम्बद्ध है। इस पर मैं बाद में कुछ कहूंगा। दूसरी मांग के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के लोकतान्त्रिक ढंग के कार्यकरण की बात कही गई है। वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के लोकतान्त्रिक ढंग के कार्यकरण पर पूर्ण बल दिया गया है।

तीसरी मांग का सम्बन्ध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आवासीय विश्वविद्यालय बनाने के बारे में है। गजेन्द्रगड़कर समिति ने भी इसे एक आवासीय विश्वविद्यालय बनाने की सिफारिश की है। परन्तु श्री जोशी जी ने इसकी भी आलोचना की है। उनकी आलोचना से तो ऐसा लगता है मानों अलीगढ़ मस्लिम विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसे आवासीय सुविधा प्रदानकी जा रही है जबकि अन्य अनेक विश्वविद्यालयों को यह सुविधा पहले ही उपलब्ध है। हम इस सम्बन्ध में गजेन्द्रगड़कर समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार करके ही ऐसा कर रहे हैं।

मैं यह कह रहा था कि राज्य सूची की विषय संख्या 63 के अतिरिक्त अन्य विषय-संख्या 63, 64, 65, 66 और 25 समवर्ती सूची के अन्तर्गत हैं। समवर्ती सूची के विषयों का उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय महत्व के शिक्षा संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा के लिए एक ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई जाये। मैं माननीय सदस्योंको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा वर्तमान विधेयक हमारे संविधान के उपबन्धे से पूर्णतया मेल खाता है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है अत: कुछ विद्यालयों को इससे सम्बद्ध करना भी संविधान के उपबन्धों के अनुकूल ही है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय को आवासीय विश्वविद्यालय बनाने का उद्देश्य यही है कि वहां अच्छी उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके।

जनसंघ दल के मेरे मित्र जिस ढंग से किसी समस्या को लेते हैं उससे संदेह उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक गुण को लेकर बहुत से प्रश्न उठाये हैं। किसी भी विषय को देखने के विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। क्या वर्तमान विधेयक किसी प्रकार से अल्पसंख्यकों के मार्ग में किसी प्रकार की

बाधा प्रस्तुत करता है या फिर क्या इस विधेयक के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों की प्रगति के लिए किसी प्रकार की विशेष व्यवस्था की गई है ? इस विधेयक में ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक उद्देश्य इस्लाम धर्म और उसके आदर्शों को प्रोत्साहन देना है और विश्वविद्यालय का यह उद्देश्य अब भी बनाये रखा गया है। मुसलमान विद्यार्थी अभी तक इस विश्वविद्यालय में जाते रहे हैं और हमें आशा है कि आगे भी जाते रहेंगे।

मेरे जो साथी इस संस्थान की अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संस्थान बनाने की बात करते हैं, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस संसद के विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधान बनाने के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि संसद के अधिकारों को समाप्त करने या उन्हें किसी प्रकार से कम करने के पक्ष में हो। संसद इस विश्वविद्यालय के लिए धन की व्यवस्था करती है और अपने विचारानुसार विश्वविद्यालय को निदेश देने का भी उसे पूर्ण अधिकार है। माननीय सदस्यों को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिये कि वह किसी ऐसी बात को मनवाने के लिये आग्रह न करें जिससे कि इस विश्वविद्यालय या मुस्लिम जाति को ही किसी प्रकार की हानि हो। आज प्राथक्यवाद के दिन लद चुके हैं। धर्मनिरपेक्ष समाज में सभी वर्गों के लोग मिलकर मित्रतापूर्वक रह रहे हैं। आपसी भेदभाव पैदा कर विभिन्न वर्गों में फूट डलवाने का काम तो अंग्रेजी राज्य का हुआ करता था। आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद हमारे समाज में काफी परिवर्तन आ गया है। धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करने में मुस्लिम नेताओं का योगदान भी कुछ कम नहीं है। हमें प्रगतिवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। संयुक्त अरब गणराज्य पाकिस्तान आदि देशों में परिवर्तन आ रहा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारे मुसलमान नेताओं का कार्य है कि वह आधुनिक वातावरण के अनुकूल कौन से आधुनिक परिवर्तन समाज में लाना चाहते हैं। यह बात हिन्दू समाज पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि पाकिस्तानी समाज पर। धर्मनिरपेक्षता के बारे में मुसलमान नेताओं के रवैये की तरफ आज सम्पूर्ण देश देख रहा है।

अंत में मैं फिर यही निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों में समन्वित कार्यकरण करवाना, उसके लोकतान्त्रिक कृत्यों को पुनः आरम्भ करना, और विश्वविद्यालय प्रशासन में अध्यापकों और विद्यार्थियों को उचित भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की ऐतिहासिकता को भी पूर्णतया बनाये रखा गया है। अतः विधेयक का गन्तव्य विश्व विद्यालय का अधिक से अधिक हित करना है और सदन के सभी वर्गों द्वारा इस का पूर्ण समर्थन किया जाना चाहिये।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : अलीगढ़ विश्वविद्यालय ऐसी संस्था है जिसके साथ मुसलमानों का भावात्मक संबंध है और गजेन्द्रगडकर समिति के अनुसार भी इसने मुसलमानों की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने अपने कार्य कलापों द्वारा देश के सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान दिया है। यह विश्वविद्यालय निर्बाध खोज, सौहार्द और शुद्ध नैतिकता का प्रसार करने के लिए स्थापित किया गया था और उसमें कोई संदेह नहीं कि इसने ये उद्देश्य पूरे कर दिखाए हैं क्योंकि इसी संस्था से शिक्षाप्राप्त अनेक व्यक्ति देश के सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं और कर रहे हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसी बात को देखते हुए वह कोई ऐसी कार्यवाही न करे जिससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। उनके मन में भय है कि आरक्षण की व्यवस्था न करने से उनके समुदाय के छात्रों की संख्या उत्तरोत्तर घटती जाएगी और इससे इस संस्था का विशेष महत्व ही समाप्त हो जाएगा। मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि इस विश्वविद्यालय ने अपना विशेष स्थान बना लिया है और यह हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि उसका यह स्थान बदलने न पाए।

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

अतः इस संस्था को हमारी मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक और धर्म निरपेक्षता की कसौटी समझा जाना चाहिये।

इसलिए हम चाहते थे कि इस विधेयक पर पूर्ण रूपेण और निश्चिन्त भाव से विचार किया जाना चाहिए। अन्य कारणों से पूरा विपक्षीदल भी इस विधेयक पर विचार स्थगित कराना चाहता था। इस विधेयक पर विचार संबंधी नियम का अध्यक्ष द्वारा निलम्बन कर लिए जाने के बाद भी सदस्यों में काफी संशोधन परिचालित किए गए हैं, जिनपर विचार करने में समय लगेगा। क्या किसी के लिए भी इतने कम समय में इनपर विचार कर सकना संभव है? इसलिए और क्योंकि इस विधेयक के कारण विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हुई हैं, श्री पन्त ने ठीक ही इसे प्रवर समिति को सौंपने के लिए कहा है।

सिद्धान्त रूप में तो यह बात ठीक है कि किसी संस्था के वित्तपोषक को ही उसके प्रशासन का अधिकार होना चाहिए परन्तु अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में यह बात लागू नहीं होती क्योंकि देश के जनजीवन में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जिस विशेष उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी उसे इसने पूरा किया है और इस बातको गजेन्द्रगडकर और चटर्जी दोनों समितियों ने स्वीकार किया है।

अतः मैं मंत्री महोदय से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि वह इसे प्रवर समिति को सौंपने की लगभग सर्व समत राय को मान ले।

जहां तक इस विधेयक की कुछ मुख्य बातों का संबंध है, मैं इन से सहमत हूं, मैं श्री जोशी के इस विचार से कि यह विश्वविद्यालय शिक्षण–एवं–संबद्ध हो, सहमत नहीं हूं। इसे शिक्षण एवं-आवासीय संस्था ठीक ही बनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के प्रशासन में छात्रों और छात्रसंघों द्वारा भाग लिया जाने के उपबंध का भी स्वागत है। परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि दान देने वालों और धार्मिक धर्मस्वों के संस्थापकों को कार्यकारी परिषद में भी नहीं रखा जाना चाहिए जबकि वे 'कोर्ट' में नहीं है। सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

'विज़िटर' को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, परन्तु मैं चाहता हूं कि यदि उसके द्वारा सौंपे गए किसी मामले पर कार्यकारी परिषद् द्वारा विचार के बाद कुछ संशोधनों सहित उसे लौटाया जाता है तो वे उसे अनिवार्य रूप से मान्य होने चाहियें।

अन्त में मैं चाहता हूं कि सरकार यह बात भी स्पष्ट करे कि क्या राज्यों के राज्यपालों के लिए जो विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं, सरकार की सलाह को मानना अनिवार्य है? यदि हां, तो क्या इसका अर्थ विश्वविद्यालय के प्रशासन में हस्तक्षेप और उसकी स्वायतता भंग करना नहीं है?

श्री समर गुह (कंटाई) : जब बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पर, इस सभा में चर्चा हो रही थी, तब दो शिक्षा मंत्रियों ने सदस्यों के साथ यह बात स्वीकार की थी कि बनारस और अलीगढ़ दोनों विश्वविद्यालयों का धार्मिक स्वरूप समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने अब अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में जहां, इसके राष्ट्रीय स्वरूप को बनाए रखने की बात कही है वहां वह इसका ऐतिहासिक स्वरूप भी बनाए रखना चाहते हैं। यह स्वरूप क्या है? जहां तक इसके संस्थापक ने पुराने और कट्टरपंथी मुसलमानों के विरुद्ध इस धर्म में प्रगतिवादी विचारों का संचार करने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की वहां तक तो इसका ऐतिहासिक स्वरुप समझ में आता है परन्तु बाद में हिन्दू और मुस्लिम धर्म में फूट डालने

की अंग्रेजों की नीति के अनुसरण में यह संस्था साम्प्रदायिकता के कीटाणु तैयार करने का कारखाना ही बन कर रह गया। इसी की प्रतिक्रिया स्वरुप बनारस विश्वविद्यालय बना। अब दोनों धर्मों की शिक्षा, विचारधारा और समाज के क्षेत्रों में होड़ आरंभ हो गई।

यद्यपि मैं विरोधी पक्ष का हूं, फिर भी मुझे विश्वास है कि कम से कम प्रधान मंत्री में ठीक समय पर साहसिक निर्णय लेने की क्षमता है और यही समय है जबकि साम्प्रदायिकता को आमूल नष्ट किया जाना चाहिये।

इस विधेयक के संबंध में मुझे गत 30-40 वर्षों की घटनाएं याद आ रही हैं। कलकत्ता के बाद नवाखली इसके बाद, बिहार और अन्त में पंजाब में नरसंहार हुआ, इसी के फलस्वरुप धर्म-प्रधान राजनीति उत्पन्न हुई जिसके फलस्वरुप पाकिस्तान बना। हमारे नेताओं ने समझा कि इस राजनीति से समझौता कर के वे इसे समाप्त कर सकेंगे परन्तु बाद की घटनाओं से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। साम्प्रदायिक हिंसा दोनों देशों में स्वतंत्रता-प्राप्ति भी समाप्त नहीं हुई।

बंगला देश की स्थापना ने धर्मनिरपेक्षता को बल दिया है और आज लाखों मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और जिन्हें अभीतक न तो बसाया गया है और न ही उन्हें वहां के जनजीवन का अंग ही बनने दिया गया है, भारत लौटना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप 15 मिनट से बोल रहे हैं। अब समाप्त कीजिए।

श्री समर गुह : यह विधेयक नरसिंह अवतार की तरह है यह न पूरा नर है न ही सिंह। न अपने आप को छलिए और न ही अल्प संख्यक समुदाय को। सरकार इस विधेयक को वापस लेकर एक नया विधेयक लाए जिसमें सभी धर्मों के उन लोगों के बच्चों को उच्चतर माध्यमिक तक निःशुल्क शिक्षा मिले जिनकी मासिक आय 300 रुपये से कम है ताकि मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सभी पिछड़े वर्गों को लाभ हो।

Shri S. A. Shamim (Srinagar) : Today, we are discussing not the Aligarh University Bill but the so-called 'Aligarh movement.' Sir Sayyad Ahmed Khan founded this institution to acquaint the despairing muslim community with new values and aspirations of life. The question today is whether that purpose is still being served by this University or not ?

I do not agree with those who say that this institution is like other educational Centres functioning in the country. It has a special character and it is catering to the needs of that segment of population of the country which is culturally and academically backward and in minority. Aligarh Muslim University has got its own particular history which clearly speaks of the very appropriate name it is having at present but some people try to change its name because this institution speaks, by its name also of the specific historical and cultural heritage; because Aligarh Muslim University is the living memory of Joint Muslim Culture. It should not be allowed because this institution establishes the historical continuity which had been our share in the cultural field. Our great and one of the most honest leaders of India, Dr. Zakir Hussain had very clearly explained that our Constitution does not come in the way of our having even hundred per cent purely, Muslim or Hindu institutions in our republic because only a secular republic has the large heartedness, the tolerance and the vision to have them both.

No body can doubt the integrity or honesty of our President late Dr. Zakir Hussain and also more can dare say that he wanted the Aligarh Muslim University a den of Communalism. This institution has produced many great personalities *Viz.*, Prof. Habib, Dr. Zakir Husain, Sayyad Mahmood and also

[Shri S. A. Shamim]

if you don't mind, Shamim Ahmed Shamim who have earned great international recognition. Such institutions are meant to raise the educational and intellectual level of the Muslim Community and also to prepare it to resist any enraging propaganda may it be from Pakistan or any other side. And naturally for that they need better way of education.

Shri K. C. Pant is right when he says that those who insist on deleting the word "Muslim", they in fact generate reaction. It is true that had the Jan Sangh leaders and other who think as they think, not demanded the deletion of the word "Muslim" the Muslims who had never insisted on having it, so it is these people who created such a wrong notion and generated so much reaction.

We always say the secularism is our ideal but I very well know that there are many many difficulties for Muslims in educational and economic field. Please search your within and then say whether we do practise secularism in our every day life. Even today the Muslims are not getting admissions in the Colleges. There still prevails discrimination with the Muslims in respect to promotions.....

उपाध्यक्ष महोदय : वह विधेयक की विषय-सीमा से बहुत परे की बात कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह विषय-संबंधी ही बात करें।

Shri S. A. Shamim : I am of the firm opinion that secularism, which is our ideal is not fully honoured in our country and as a Muslim, I am convinced that the Muslims are not at all getting justice in regard to admission in Colleges appointments etc. Not me only , but even the Prime Minister of India and other great and progressive leaders of Congress have admitted that secularism in true sense and meanings has not yet been established in India.

So, I allege that Muslims are not getting due representation in Government or Private Services and not even in the Armed forces or Police.

I agree that the Aligarh Muslim University should become an institution of intellectual training for the progressive Muslims and it should be got rid of the clutches of Communal minded Mohammedans but side by side the students of the Aligarh Muslim University and also their parents, should be assured all equal rights and opportunities in this secular and socialist India of ours.

So, I suggest that the Bill should remain as it is excepting that my amendment asking for the recognition of the fact that the Aligarh Muslim University was established by the Muslims of India should be accepted and made.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोझी कोड़) : वस्तुतः इस विधेयक के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सम्पूर्ण विनाश उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जोकि देश में स्वयं धर्म-निरपेक्षता तथा लोकतंत्र के एक मात्र रक्षक तथा जन्मदाता समझते हैं। यह विश्वविद्यालय केवल एक मुस्लिम विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि अपने किस्मका एक केन्द्रीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी है और हमें इस सत्य को स्वीकार करना है तथा हमें इसी रूप में घोषित भी करना है।

इस विधेयक के पारित होते ही हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को दी गई सभी गारंटी तथा अधिकार समाप्त हो जाते हैं और इस देश के 8 करोड़ मुसलमानों तथा इस विश्वविद्यालय के छात्रों की सभी आशाओं पर पानी फिर जाता है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र के महान उपासक तथा हमारे देश के एक मात्र महान राष्ट्रवादी, जो कि हिन्दू और मुसलमान को भारत की दो आंखे समझा करते थे के सभी प्रयास धूलधूसरित ही गये। अब आप ही सोचिये कि जब

भारत रूपी सुन्दरी के दो नेत्रों मेंसे एक पहले से ही रोगग्रस्त तथा रोते हुए नेत्र को यदि और अधिक आहत कर दिया जाय तो फिर उसकी सुन्दरता तथा शारीरिक सामुच्य कैसे बना रह सकता है ?

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी एक समुदाय तथा उसकी संकृति तथा परप्परा को समाप्त करना नहीं होता बल्कि देश के सभी सम्प्रदायों को एक फुलबाडी में सजे फुलों के समान खिले-खिले रखना होता है। अतः हमे संविधान प्रदत्त इस अधिकार से वंचित मत कीजिये कि हम मुसलमानों का भी एक विश्वविद्यालय हो सकता है। इस विश्वविद्यालय का भी एक इतिहास तथा एक महान लक्ष्य रहा है। इसकी स्थापना मुसलमानों द्वारा और मुसलमानों के लिये ही की गई थी और इस का निर्णय 1911 में उस समय की भारत सरकार ने ही किया था। मोहमडन ऐंग्लो ओरियन्टल कालेज से संबंधित तथा उसके लिये एकत्रित की गई समस्त राशि तथा परिसम्पत्तियां इस विश्वविद्यालय के नाम हस्तांतरित करके ही 1-12-1920 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधिनियम लागू किया गया था। इस संस्थान को स्थापना का उद्देश्य इस समुदाय की धार्मिक तथा सांस्कृतिक विरासत को जिवीत रखना था और मुसलमान युवक को वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान देकर उन्हें उन समुदायों के समानान्तर लाना था जिन से वे बहुत पिछड़े हुए थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वस्तुतः मई 1911 में उस समय की सरकार तथा इस देश के मुसलमानों के बीच एक करार का परिणाम था और भारत सरकार ने मुस्लिम समुदाय की; आकांक्षाओं का आदर करते हुए यह व्यवस्था की थी।

इस भूमिका द्वारा मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूँ कि यह विश्वविद्यालय भारत के अन्य सामान्य विश्वविद्यालयों के समान नहीं है बल्कि इसकी मूलतः ही एक विभिन्न तथा विशिष्ट स्थिति है। वस्तुतः यह इस देश के मुसलमानों की संस्कृति की एक अत्यन्त प्रिय यादगार है। जिसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय द्वारा बड़े त्याग, श्रम तथा बलिदान के पश्चात् हुई थी। यह तो मुस्लिम समुदाय की आगामी संतति के लिए एक याद के समान है।

अतः इस के हक मूलरूप को परिवर्तित करना देश के अल्प संख्यकों की भावनाओं की हत्या करना होगा तथा उनके दिलों में एक सन्देह की भावना उत्पन्न करना होगा। इस प्रयास से न केवल धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र के प्रति आधारभूत विश्वास को चोट पहुंचेगी बल्कि इसके फलस्वरूप कुछ ऐसी गंभीर क्रियायें तथा प्रतिक्रियायें भी होंगी जो बाद में भीषण और विकराल रूप भी धारण कर सकती है।

मगर खद है कि फिर भी बड़ी गंभीरता से ऐसा करने या प्रयास किया जा रहा है और इस विधेयक को यहाँ पेश किया गया है जिसके पारित होते ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो वस्तुतः एक मृत संस्था रह जायेगी।

यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि यह संशोधन विधेयक गजेन्द्रगड़कर समिति की सिफारिशें से प्रकाश में लाया गया है जबकि उन सिफारिशों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विशिष्ट रुपसे कोई उल्लेख ही नहीं है। वस्तुतः इस समिति ने इस विश्वविद्यालय की पूर्व इतिहास तथा उद्देश्यों और लक्ष्यों की ओर तो देखा तक नहीं है, और न ही यह विचार किया कि वर्ष 1920 में किस करार के फलस्वरूप और किस उद्देश्य को लेकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तथा इस संबंध में इस अल्प संख्यक समुदाय को क्या क्या गारंटियों तथा आश्वासन दिये गये थे। यह भी नहीं सोचा गया कि पंडित जवाहर लाल नेहरू डा० जाकिर हुसैन तथा स्वयं कांग्रेस दलने क्या क्या घोषणा की थी। स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन ने कहा था कि गणतंत्र भारत में शत प्रतिशत हिन्दू तथा शत प्रतिशत मुस्लिम संस्थानोंओं की स्थापना हो सकता है और संविधान को कही इसका विरोध नहीं करता। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी 1965 में एक पत्र में बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्तमान रूप को बनाये रखा जायगा।

[श्री इब्राहीम सुलेमान सेट]

स्वयं शासक कांग्रेस दल ने भी वर्ष 1971 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा था की यह दल देश में सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों तथा अन्य संस्थानों को स्थापित करके, उन्हें बनाये रखने तथा चलाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करेगा।

यह तर्क दिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को इस समुदाय ने नहीं प्रत्युत सरकार ने व्यापित किया था। परन्तु मेरे विचार से इस न्यायालय ने बड़ा ही संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। फिर यह संसद इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रस्ताव को हटा भी तो सकती है। संसद तो सर्वोच्च है। जब संसद प्रसिद्ध गोलकनाथ मामले तथा केरल भूमि सुधार विधेयक के प्रभावों को रद्द कर सकती है तो फिर संसद इसी विधेयक में यह भी तो व्यवस्था कर सकती है कि किसी भी निर्णय अथवा आदेश के होते हुए भी यह माना जायेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय ने की थी ?

हमारे देश के मुसलमान हमारे प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति बड़े मान और श्रद्धा की भावना रखते हैं और हमने उन्हें गत चुनावों में भरपूर समर्थन दिया था ताकि देश में धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र की रक्षा हो सके परन्तु हमें प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य से बड़ा ही कष्ट पहुंचा है कि देश में किसी भी विश्वविद्यालय को किसी अल्पसंख्यक समुदाय का ही और उस के द्वारा धन प्राप्त करने वाली संस्थान मानना सरकार के लिए संभव नहीं है।

यह बड़ा ही दुखदायी वक्तव्य है और वस्तुत: तो यह संविधान के अनुच्छेद 30(2) में निहित मूलभूत अधिकारों का सरासर उल्लंघन करते हैं।

आज स्थिति यह है कि इस समुदाय का कही भी कोई प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं रह गया है। स्वयं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भूतपूर्व छात्रों का प्रतिनिधित्व घटा दिया गया है। कार्यकारी परिषद् में विजिटर्स के केवल 8 प्रतिनिधि हैं। अत: न तो कोई लोकतंत्र है और न ही स्वायत्तता कार्यकारी परिषद में 19 में से 11 व्यक्ति उपकुलपति के अपने समर्थक हैं और 8 विजिटर्स द्वारा मनोनीत व्यक्ति है। फिर उपकुलपति को भी विजिटर्स ही मनोनीत करता है। इस प्रकार समस्त अधिकार तथा शक्तियां सरकार के पास ही हैं।

वस्तुत: तो मुसलमानों को बिना जीव के एक कंकाल का रुप ही दिया गया है। अत: इस विश्वविद्यालय में मुस्लिम शब्द के रहने से हम समुदाय के हितों की कोई रक्षा नहीं होती। वास्तविक स्थिति में तो यह एक सामान्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय रह गया है इससे अधिक कुछ नहीं।

अत: यह विधेयक बडे सन्देह उत्पन्न करने वाला तथा लोकतंत्र विरोधी है। मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव पेश किया है ताकि वह इसके मूल में जा सके। वहां पर भी इस बारे में संशोधन पेश किये जा सकते है तथा एक सर्व सम्मत अधिनियम तैयार किया जा सकता है ताकि मुस्लिम समुदाय में भी कुछ विश्वास बना रहे जिसका की इस संस्थान से बड़ा लगाव है।

अत: मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : Without going sentimental I would like to express my views, in brief. It has been said that a great reformer and social worker of that time Sri Sayyad Ahmed Khan pioneered this institution to infure new awareness and give a new direction to the Muslims. But on reviewing and analysing the whole atmosphere and also the factuals of the time, it appears

that greater reformer himself had to face a great opposition to what he had done by those very people for whom he had done this much. I have some proofs to offer in this behalf.

Quite a number of couplets of the great Urdu poet and thinker Akbar Allahabadi reveal the criticisms, opposition and also pinching satires which Sri Sayyad Ahmed Khan had to come across during this great pioneering efforts of his.

So it was essential as per the prevalent circumstances at the time that hard traditions contained in the minds of the Muslims had to be made the subject of this institution.

I need not say whether there has been communalism or not. But I would like to say that the communal character must be eliminated in independent India. Was it not the reason why Dr. Zakir Hussain left that institution ? I want to emphasise that the basis on which our country can make progress is emotional integration and the feeling of emotional integration can be inculcated in the minds of young people by the academic institutions and not by Government efforts. Unfortunately, when one person meets another in our country he does not feel that he is meeting another Indian but he thinks that he is meeting a Brahmin, a Thakur or a Harijan. In political sphere one person sees in another a person from North India or South India. Some of us differentiate people on the basis of religions—Hindu, Muslim, Sikh or Christian. On the contrary we should hold the view that we all are Indians. If there is difference of opinion we should adopt the method of persuasion to make each other understand the correct stand.

All the four national Universities should be symbols of emotional integration. There should be complete communal harmony. It will be an ideal for other universities and Colleges. It does not mean that there should not be any research on religious subjects. They should be seat of highest studies in religion.

It is said in the Gajendragadkar Committee's report that Aligarh University must be a residential University and no college should be affiliated to it. Here I request the Hon. Minister to allow at least two colleges to be affiliated to it because four Colleges are affiliated to Banaras Hindu University. Moreover, High School Examination should not be conducted by Aligarh Muslim University. It should be conducted by the Board. If these two things are accepted all resentment and furore will be over.

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर–पूर्व) : श्रीमन् मैंने माननीय सदस्यों और मंत्री महोदय के भाषण सुने। मैं उनकी बातों से कुछ हद तक सहमत हूं। किन्तु मेरा विचार है कि सरकार को प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त समिति को सौंपने का अनुरोध स्वीकार कर लेना चाहिए था। इससे यह लाभ होता कि इस विधेयक पर विचार के लिए अधिक समय मिल जाता और सभा को वस्तु स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने का अवसर मिल जाता। यह ठीक है कि गजेन्द्रगड़कर समिति की सिफारिशों को मानते हुए यह विधेयक लाया गया है। किन्तु उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करते समय सरकार को राष्ट्रीय हित को भी ध्यान में रखना चाहिए था।

श्री समर गुहा ने यह प्रस्ताव रखा कि इस विधेयक और विश्वविद्यालय के शीर्षक में से 'मुस्लिम' शब्द और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में से 'हिन्दू' शब्द हटा दिया जाये। इस प्रस्ताव को साधारण-सा बताते हुए उन्होंने कहा की ऐसा करने से सब ठीक हो जायेगा। किन्तु ऐसा करना भी इतना आसान नहीं है जितना कि वह दिखाई देता है। दूसरे ऐसा करने से कोई लाभ भी

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

नहीं होगा। आज सदाशय की आवश्यकता है, एक विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता है। इसी प्रकार श्री जगन्नाथराव जोशी ने विश्वविद्यालय की विश्वव्यापकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को सब कुछ भूलकर प्रत्येक विद्यार्थी को गले लगाना चाहिए। किन्तु व्यवहार में ये सब आदर्श वाक्य या नारे खरे नहीं उतरते। हिन्दू दर्शन में जीव और ब्रह्म को एक बताया गया, किन्तु फिर भी वहां असमानता और अन्याय विद्यमान है।

जहां तक अलीगढ़ विश्वविद्यालय का संबन्ध है, उसका अपने ढंग से विकास हुआ है और उसका अपना स्वरूप है। कभी वह साम्प्रदायिकता का अड्डा रहीं तो कभी उसने मौलाना महमूद अली, शौकतअली, डा० जाकीर हुसैन और रफी अहमद किदवाई जैसा नेता दिये, अलीगढ़ विश्व-विद्यालय से संस्कृति सम्पन्न समुदाय का स्वरूप उभर कर सामने आता है। बनारस में अन्त-विश्वविद्यालय स्तर के वाद-विवाद में भाग लेने के लिए एक बार मैं प्रेसिडेंसी कालेज कलकत्ता के छात्र के नाते आया था और उस समय मैंने यह अनुभव किया था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लोगों का स्वभाव सबसे अधिक नम्र था। मुस्लिम संस्कृति भी जीवन का मूल्य मानती, जीवन का अनुभव करती। वह मानवीय गुणों की प्रशंसक भी है। यही कारण है कि इस्लाम धर्म का प्रसार सम्पूर्ण विश्व में हो गया है। अतः बनारस की बात करने वाली को यह बात ध्यान रखनी चाहिए। हर व्यक्ति ही ऐसा कहना और करना चाहिए जिससे उसके देश की प्रगति हो। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है सहिष्णुता की हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय की। अमीर खुसरों आज से 700 वर्ष पूर्व हुए थे किन्तु उनके हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियां एक स्थान पर आकर मिल गई थीं। यहां कबीर जैसे सन्त हुए जिसने हिन्दू मुसलमानों को परस्पर लड़ते देख दोनों को यह कहकर फटकारा 'हिन्दूत्व की हिन्दूआई देखी तुरकन' की तुसकाई'। आज भी भारत को हजरत निजामूद्दीन औलिया जैसे महापुरुषों की आवश्यकता है भारत का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय का है भारतीय है और उसे अपने देश से प्रेम करना चाहिए और भारत की प्रगति में उसे कुछ न कुछ, योगदान करना चाहिए। भारतीय संकृती एक मिली-जुली संकृति है, इसमें कतई भी संदेह नहीं है।

जहाँ तक अलीगढ़ विश्वविद्यालय और बनारस विद्यालय का संबन्ध है, इनका, स्वरूप राष्ट्रीय हो, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय हैं। मैं यह नहीं मानता कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का स्वरुप अल्पसंख्यकों के स्वरुप जैसा हो। यदि मुस्लिम अल्पसंख्यक-स्वरुप वाली कोई संस्था बनाना चाहते है तो वे कोई अन्य संस्था स्थापित कर लें। इन दोनों विश्वविद्यालयों ने मिली-जुली संस्कृति को जन्म दिया है और इनका यदि स्वरुप होना भी चाहिए। हो, मैं चाहता हूं कि इनमें संस्कृति विशेष के उच्च अध्ययन की व्यवस्था हो क्योंकि संस्थाओंका वातावरण उसके लिए अनुकूल है।

हिन्दूत्व मानवता या 4000 वर्ष पुराने काल की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। आज के युग के संदर्भ में हमें हर चीज को देखना है। हम आज की दुनिया के अनुरुप अपनें आप को नहीं ढाल पाये हैं। इसीलिए ये समस्याएं हमारे सामने जटिलरुप में उपस्थित हैं। अन्त में मैं प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह शिक्षा मंत्री को यह परामर्श दें कि वह इस विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार कर लें।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक का सिद्धान्त रूप में समर्थन किया है। प्रो० मुखर्जी ने मेरी बहुत अधिक सहायता की है क्यों कि उन्होंने वे सभी तर्क दे दिये हैं जो मैं देना चाहता था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठाया गया है कि विधेयक को प्रवर समिति को क्यों न सौंपा दिया जाये। मैं आपको वे कारण बताना चाहता हूं जिनके आधार पर हमने इसे प्रवर समिति को न सौंपने का निर्णय किया है। सबसे पहली बात यह है कि इस विषय पर सदस्यों के विचार इतने भिन्न है कि प्रवर समिति के सदस्यों में मतैक्य होना कठिण है। दूसरी बात यह है कि लगभग 6 मास पूर्व गजेन्द्रगड़कर समिति का प्रतिवेदन सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था और बताया गया था कि सरकार ने उसकी सिफारिशों को मान लिया है। कोई भी सदस्य उस समय उस पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता

था। यद्यपि सभा को पूर्ण अधिकार है कि वह शैक्षणिक संस्थाओं की कार्यपद्धति और शिक्षा-संस्थाओं से संबंधित प्रतिवेदनों पर विचार कर सकती है क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि ही अन्ततः जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, किन्तु संसद न यह ठीक निर्णय किया है कि शिक्षा संबंधी मामलों में शिक्षण संस्थाओं को स्वतंत्र छोड़ दिया जाये। संसद ने इन बातों का दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर छोड़ा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी जिसने प्रतिवेदन दिया है जो कुछ समय पूर्व सभा पटल पर रखा गया था।

विधेयक गजेन्द्रगड़कर समिति के प्रतिवेदन के ही अनुसार है, अधिनियम की केवल कुछ ही धारायें संशोधित की जा रही हैं, विधेयक को पारित करने का यह अर्थ नहीं कि बाद में इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक क्षेत्र अध्ययन योजना है। इसलिए एक विशेष समिति की स्थापना की गयी है। मुझे एक माननीय सदस्य की इस बात को सुनकर आश्चर्य हुआ कि मजदूर संघों के प्रतिनिधियों का विश्वविद्यालयों में कोई काम नहीं। उच्च शिक्षा के विकास की दिशा में मजदूरों का महत्वपूर्ण योग होता है।

कांग्रेस दल के एक माननीय सदस्य ने विश्वविद्यालय में दानदाताओं के प्रतिनिधित्व की वकालत की, हमने समाजवाद की ओर अग्रसर होने का संकल्प कर लिया है और हम संपत्ति वाले लोगों को असाधारण अधिकार नहीं दे सकते।

विश्वविद्यालय को शत प्रतिशत घाटे का अनुदान देने की जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की है। मैं अपने माननीय मित्र श्री समर गुह की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि विश्व-विद्यालय का स्वरुप राष्ट्रीय होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को प्रतिक्रियावादी तथा प्रगतिशील दृष्टिकोणों का सामना करना पड़ रहा है। प्रगतिशील दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य होना चाहिए।

मुसलमानों के हितों की भी चर्चा हुई है। मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में देश के साथ साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। जब तक सामान्य विकास नहीं हो जाता उस समय तक हम विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टिगत भेदभाव को दूर नहीं कर सकते। इस विधेयक का उद्देश्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विकास करना है। मझे आशा है कि इस विधेयक द्वारा यह विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा।

यह कहना गलत है कि गजेन्द्रगड़कर समिति के प्रतिवेदन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में विशिष्ट उल्लेख नहीं है।

पं० जवाहरलाल नेहरु के समय में भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के नाम बदलने संबंधी योजना तैयार की गई थी लेकिन बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय इसके लिए सहमत न हुआ अतः यह योजना छोड़ दी गयी। कांग्रेस दल के 1971 के घोषणापत्र की भी चर्चा हुई है जिसका सरकार पालन कर रही है।

श्री शिवकुमार शास्त्री ने ऐसा भाषण दिया है जिसकी चर्चा मैं नहीं करुंगा। यदि अलीगढ़ विश्वविद्यालय हाई स्कूल की परीक्षा ले रहा है तो इसमें क्या बुराई है।

इन शब्दों के साथ में विधेयक को प्रस्तुत करता हूँ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : विरोधी दलों के संशोधनों को अस्वीकार करके मंत्री महोदय ने उचित कार्य नही किया। यह निश्चय ही संसदीय प्रणाली के विपरीत है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 तथा 2 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
Amendment Nos. 1 and 2 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 3 को मतदान के लिये रखता हूं ।

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided

पक्ष में Ayes	51	विपक्ष में Noes	23

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया ।

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में Ayes	50	विपक्ष में Noes	229

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The motion was negatived.

संशोधन संख्या 134 सभा की अनुमति से वापस लिया गया
Amendment No. 134 was, by leave, with drawn

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंड वार विचार करेंगे ।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 82 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं अपना संशोधन संख्या 95 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मुहम्मद खुदा बख्श (मुर्शिदाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 135 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री समर गुह : मैं अपना संशोधन संख्या 160 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी (उनाव) : मैं अपना संशोधन संख्या 164 प्रस्तुत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 82 तथा 95 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The amendment Nos. 82 and 95 were put and negatived.

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 135 वापस लिया गया ।
The amendment No. 135 was by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 160 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The amendment No. 160 was put and negatived.

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 164 वापस लिया गया ।
The amendment No. 164 was , by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : अब सरकार की ओर से किया गया संशोधन संख्या 190 ।

श्री समर गुह : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या यह संसदीय प्रक्रिया तथा परंपरा का उल्लंघन नहीं है तथा एक असाधारण बात नहीं है कि मंत्री महोदय ने एक ही दिन में 65 संशोधन पेश किये हैं ? इससे स्पष्ट है कि कितनी अफ़रा-तफ़रीक में यह विधेयक पेश किया गया है और इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार करने के लिए हमें भी केवल सात दिन का समय दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

संशोधन किया गया: ।

Page 2,—

after line 2, *insert*—

'(c) "Chancellor," "Pro-Chancellor" and "Vice-Chancellor", mean respectively the Chancellor, Pro-Chancellor and Vice-Chancellor of the University

(Prof S. Nurul Hasan).

पृष्ठ 2, पंक्ति 9 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाय —

'(ग) "कुलाधिपति", "प्रति-कुलाधिपति" और "कुलपति" से क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रति-कुलाधिपति और कुलपति अभिप्रेत है ।'

(प्रो० एस नूरुल हसन)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 3
Clause 3

श्री समर गुह : मैं अपना संशोधन संख्या 96 प्रस्तुत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 96 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The amendment No. 96 was put and negatived.

संशोधन किया गया ।
Amendment made.

Page 2, Line 23. (191)
after "Chancellor" insert
"the Pro-Chancellor"

(पृष्ठ 2 पंक्ति 32 में "कुलाधिपति" के बाद "प्रतिकुलाधिपति" जोड़िये ।)

(प्रो० एस० नूरुल हसन)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 3, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 3, as amended was added to the Bill.

खण्ड 4 (धारा 5 का संशोधन)
Clause 4

संशोधन किया गया ।

Page 3,—

for lines 16 to 19, *substitute*—

'(viii) for clause (9), the following clause shall be substituted, namely :—

"(9) to institute and maintain, within a radius of twenty-five kilometres of the University Mosque, halls and hostels and to recognise places of residence for the students of the University within the said limits and to withdraw such recognition accorded to any such place of residence ;". (5)

(Prof S. Nurul Hasan).

पृष्ठ 16 पंक्ति 16–19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"(viii) खण्ड 9 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा; अर्थात्, "(9) विश्वविद्यालय के मस्जिद के 25 किलो मीटर के अधीन्यास के भीतर छात्र-निवास और छात्र आवास स्थापित करना और उनका पोषण करना उक्त सीमाओं के भीतर छात्रों के निवास के लिए स्थानों को मान्यता देना और ऐसे किसी निवासस्थान की दी गई मान्यता को वापस लेना ।" (5)

(प्रो० एस० नूरुल हसन)

Page 3, line 15—

after "University" *insert* "for a specified period" (53)

पृष्ठ 3, पंक्ति 15 में को के पश्चात् "विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए" जोड़िये । (53)

(प्रो० एस० नूरुल हसन)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 161 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"Page 2, Omit lines 29 to 31"

"पृष्ठ 3, पंक्ति 2–4 निकाल दीजिये"

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 161 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 161 was put and negatived.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आप संशोधनों पर किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही स्पष्ट किया गया था कि चर्चा का समय बढ़ा लेने के बाद में बोलने का समय नहीं रह जाता है ।

श्री समर गुह : इस प्रकार तो संसदीय प्रक्रिया का सर्वथा उल्लंघन होता है । यह तो नियम विरुद्ध बात है ।

Shri R. V. Bade : You are not moving our amendments whereas you move all the amendments of the Hon. Minister even when we do not know what is that.

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं अपना संशोधन संख्या 165 प्रस्तुत करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो प्रस्तुत हो चुका है और सरकारी संशोधन प्रचारित किये गये हैं जो कि आपके सामने है । अब मैं संशोधन संख्या 165 को मतदान के लिए रखता हूँ । प्रश्न यह है :

"Page 2, Omit lines 29 to 31" (165)

"कि पृष्ठ 3 पंक्ति 2 से 4 तक निकाल दीजिये ।" (165)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री समर गुह : मैं अपना संशोधन संख्या 97 प्रस्तुत करता हूँ ।

खण्ड 44 के अनुबन्ध के अन्तर्गत सामाजिक विज्ञान विभाग के अधीन इस्लामिक अध्ययन का विभाग कैसे आ सकता है ? इसी प्रकार धर्मदर्शन विभाग के अधीन सूनी धर्मदर्शन विभाग तथा शिया धर्मदर्शन विभाग है ।

जहां इस खण्ड में "धर्मों के अध्ययन" अर्थात अनेक धर्मों के अध्ययन की बात कही गई है वहां इस अनुबन्ध के अनुसार केवल एक धर्म का ही अध्ययन संभव है । इस प्रकार यहां परस्पर विरोधी प्रावधान पाये जाते हैं । मंत्री महोदय कृपया स्थिति को स्पष्ट करें और हमें बताये कि इसका क्या तात्पर्य है ।

मैंने अपने संशोधन में प्रमाण दिया है कि इसमें समानान्तर दर्शनों के अध्ययन की व्यवस्था हो जैसा कि भारत के अन्य विश्वविद्यालयों में है, स्नातक तथा स्नातकोत्तर दोनों ही स्तरों पर समानान्तर धर्मों तथा दर्शनों के अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि अनुसंधानकर्ता समानान्तर धर्मों और दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन करके उचित निष्कर्ष निकाल सके ।

परन्तु, मन्त्री महोदय ने केवल इस्लाम धर्म छोडकर सभी धर्म यहां से हटा दिये है । क्या यह धर्म-निर्पेक्ष शिक्षा के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : आज सभा पहली बार किसी एक धर्म के अध्ययन की व्यवस्था करने जा रही है। हमें देखना है कि यह विश्वविद्यालय किस प्रकार अन्य धर्मों के अध्ययन की व्यवस्था करना चाहता है। जिन विभागों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है वे काफ़ी समय से सुस्थापित हैं तथा कार्य करते आ रहे हैं।

श्री समर गुह : परन्तु खण्ड 32 में मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप में कहा है इस समय निश्चित किये गये विभागों के अतिरिक्त और अधिक विभाग स्थापित करने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर अन्य धर्मों का अध्ययन कैसे होगा। इस प्रकार ये व्यवस्था में परस्पर विरोधी तो सिद्ध होती हैं।

प्रो० एस० नुरुल हसन : धारा 29 के अधीन प्रावधान है कि विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र तथा विशिष्ट अध्ययन केन्द्र खोल सकता है। फिर विजिटर की पूर्व-अनुमति से कानूनों में संशोधन भी विश्वविद्यालय कर सकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : खण्ड 29 तो किसी अन्य विषय से संबंधित है।

श्री समर गुह : यह तो प्राध्यापकों की सेवा शर्तों के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : कदाचित, धारा की संख्या गलत बताई गई है। मंत्री महोदय बाद में इस धारा की सही संख्या बताकर स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

प्रो० एस० नरुल हसन : जी हां, धारा 25 के अधीन अन्य निकाय गठित करने की व्यवस्था है। पृष्ठ 9 पर इस आशय का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय : अन्ततर यह व्यवस्था ढुंढ़ ही ली गई। अब मैं संशोधन संख्या 97 को मतदान के लिए रखता हूं।

लोकसभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में Ayes	14	विपक्ष में Noes	233

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
" कि खण्ड 4, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 5
Clause 5

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 6 to 9 were added to the Bill.

खण्ड 10

Clause 10

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11 was added to the Bill.

खण्ड 12

Clause 12

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

Page 5,—Omit line 11 ;

पृष्ठ 6 पर पंक्ति 2 निकाल दीजिए । (192)

Page 5, line 12, —Omit "(ii)".

पृष्ठ 6 पर पंक्ति 3 से "(ii)" निकाल दीजिये । (193)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

Page 5, —Omit line 11 ;

पृष्ठ 6 पर पंक्ति 2 निकाल दीजिये । (192)

Page 5, line 12, —Omit "(ii)".

पृष्ठ 6 पर पंक्ति 3 से "(ii)" निकाल दीजिए । (193)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 12, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 12, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 12, as amended was added to the Bill.

खण्ड 13

Clause 13

श्री इब्राहम सुलेमान सेट : मैं अपना संशोधन संख्या 69 प्रस्तुत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 69 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 69 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ा गया।
Clause 13 was added to the Bill.

खण्ड 14
Clause 14

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

Page 5, *for* clause 14, *substitute*

Substitution of new section for section 18

14. For section 18 of the principal act, the following section shall be substituted, namely :—

The Pro-Chancellor

"18. (1) The Pro-Chancellor shall be appointed by the Visitor in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Pro-Chancellor shall, in the absence of the Chancellor, preside over the convocations of the University held for conferring degrees".

पृष्ठ 6, पंक्ति 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखिये :

14—मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायेगी; अर्थात्

प्रति कुलाधिपति

"18. (1) प्रतिकुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा उस रीति से की जायगी जो परिनियमों द्वारा विहित हो।

(2) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधि वितरणार्थ किये गये विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

Page 5, *for* clause 14, *substitute*

Substitution of new section for section 18

14. For section 18 of the principal Act, the following section shall be substiuted, namely :—

The Pro-Chancellor

"18. (1) The Pro-Chancellor shall be appointed by the Visitor in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Pro-Chancellor shall, in the absence of the Chancellor, preside over the convocations of the University held for conferring degrees".

पृष्ठ 6, पंक्ति 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखिये :

14—मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायेगी; अर्थात्

प्रति कुलाधिपति

"18. (1) प्रतिकुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा उस रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित हों।

(2) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधि वितरणार्थ किये गये विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 14, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 14 as amended, was added to the Bill.

खण्ड 15

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश भट्टाचार्य के नाम में एक संशोधन है। वह यहां नहीं हैं।

प्रो० एस० नुरुल हसन : हम संशोधन संख्या 114 को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अपनी ओर से रख सकते हैं।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

Page 6, line 7 (पृष्ठ 6, पंक्ति 7) में "Fifteen days" (पंद्रह दिन) के स्थान पर Three months" (तीन मास) प्रतिस्थापित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

Page 6, line 7 (पृष्ठ 6, पंक्ति 7) में "Fifteen days" (पंद्रह दिन) के स्थान पर "Three months" (तीन मास) प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 15, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 15, as amended was added to the Bill.

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 16, was added to the Bill.

खण्ड 17

संशोधन किया गया

पृष्ठ 7, पंक्ति 22 में "Chancellor" (कुलाधिपति) के बाद "The Pro-Chancellor" (प्रतिकुलाधिपति) अन्तःस्थापित किया जाये।

(प्रो० एस० नूरुल हसन)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 17, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 17, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 17, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 18 was added to the Bill.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : मैं अपना संशोधन संख्या 70 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 70 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
The Amendment No. 70 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 19, विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 19 was added to the Bill.

खण्ड 20 भी विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 20 was also added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 21 was added to the Bill.

खण्ड 22 भी विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 22 was also added to the Bill.

खण्ड 23

संशोधन किया गया

पृष्ठ 9, पंक्ति 9 "teachers" (शिक्षकों) के बाद "and other academic staff" (और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वृन्द) जोड़िये ।

(प्रो० एस० नूरुल हसन)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 23, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 24

संशोधन किया गया

धारा 23 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

"Provided that the provisions of Statutes 29 to 45, both inclusive, of the University (relating to provident fund, pension and gratuity for the employees of the University), as in force immediately before such commencement, shall be deemed to be included in the Statutes set out in the Schedule and shall, until new Statutes are made under sub-section (2), continue in force subject to such modifications (being modifications necessary for bringing them into accord with the provisions of this Act as amended by the Aligarh Muslim University (Amendment) Act, 1972) as the Executive Council may with the approval of the Visitor, make."

[परन्तु ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त परिनियम 29 से 45 तक (दोनों सहित) के उपबन्ध (जो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि, पेंशन और उपदान के बारे में हैं) अनुसूची में दिये गये परिनियमों में सम्मिलित समझे जाएंग तथा उपधारा (2) के अधीन नए परिनियम बनाए जाने तक वे उन उपान्तरों के साथ प्रवत्त बने रहेंगे जो कार्य परिषद कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से करे (और ये उपांतर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम से उन्हें संगत बनाने के लिए होंगे)]

(प्रो० एस० नूरुल हसन)

श्री जगदीश भट्टाचार्य : मैं अपना संशोधन संख्या 115 प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 115 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
Amendment No. 115 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 24, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 24, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 25 :

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 9, पंक्ति 8, " Discipline Committee " (अनुशासन समिति) के पश्चात् "Cultural Committee, Social Service Committee, Games Committee" (सांस्कृतिक समिति, समाज सेवा समिति, खेल कूद समिति) अंत:स्थापित किये जाये (**संख्या 8**)

पृष्ठ 9, पंक्ति 11, "moderating" (मोडरेटिंग) के स्थान पर " learned (विद्वान)

(संख्या 9)

पृष्ठ 9, पंक्ति 14, " meeting" (मीटिंग) के स्थान पर "improving" (सुधार हो रहा है) का प्रतिस्थापन किया जाये ।

(संख्या 10)

पृष्ठ 9, पंक्ति 31, "Student Advisory Committees" (विद्यार्थी सलाहकार समितियों) के स्थान पर "Students Union, Student's Advisory Committee, Cultural Committee, Social Service Committee and Games Committee," (विद्यार्थी संघ, विद्यार्थी सलाहकार समितियां, सांस्कृतिक समिति, समाज सेवा समिति और खेलकूद समिति) का प्रतिस्थापन किया जाये ।

(संख्या 11)

पृष्ठ 9, पंक्तियां 32–33 'i' (ञ) और 'g' (थ) के स्थान पर 'h' (ज) और 'i' (ञ) प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 12)

(प्रो० एस० नूरुल हसन)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

[खण्ड 25 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 25, as amended was added to the Bill.

खण्ड 26 से 28 भी विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 26 to 28 were also added to the Bill.

खण्ड 29

संशोधन किये गये

पृष्ठ 10, पंक्तियां 43 और 44 "Committee of Discipline or Committee of Examinations" ("अनुशासन सम्बधी समिति अथवा परीक्षाओं सम्बंधी समिति") के स्थान पर "Discipline Committee or Examinations Committee" (अनुशासन समिति अथवा परीक्षा समिति) का प्रतिस्थापन किया जाये ।

(संख्या 13)

पृष्ठ 10, पंक्ति 48 for "shall either" के स्थान पर "may" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 14)

(प्रो० एस० नूरुल हसन)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

[खण्ड 29, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 29, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 30 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।]

The motion was adopted.

खण्ड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 30 was added to the Bill.

खण्ड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 31 was added to the Bill.

खण्ड 32

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मैं अपने संशोधन संख्या 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 प्रस्तुत करता हूँ ।

प्रो० नूरुल हसन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि पंक्ति 45 के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

The Pro-Chancellor

2. (1) The Pro-Chancellor shall be appointed by the Visitor from a panel of not less than three persons recommended by the Executive Council :

[प्रो० नूरूल हसन]

Provided that if the Visitor does not approve of the persons so recommended he may call for fresh recommendations from the Executive Council.

(2) The Pro-Chancellor shall hold office for a term of five years and shall be eligible for re-appointment."

प्रतिकुलाधिपति 2. (1) प्रतिकुलाधिपति की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा सिफारिश किये गये तीन से अन्यून व्यक्तियों के पेनल में से की जाएगी :

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों का अनुमोदन न करे तो यह कार्य परिषद् से नई सिफारिशें मांग सकेगा ।

(2) प्रतिकुलाधिपति पांच वर्ष के अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा और पुन: नियुक्ति का पात्र होगा ।"

(संख्या 196)

पृष्ठ 12, पंक्ति 4 के बाद

"Provided that if the Visitor does not approve of any of the persons included in the panel, he may call for a fresh panel."

(परन्तु यदि कुलाध्यक्ष पेनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह नया पेनल मांग सकेगा ।) जोड़ दिया जाये

(संख्या 15)

पृष्ठ 12, Omit lines "11 and 12" पंक्ति 11–12 का लोप किया जाये ।

(संख्या 16)

पृष्ठ 14, पंक्ति 31,

after appointment for, insert "not more than"

('धारण करेगा' के पश्चात् "एक से अधिक" अन्त: स्थापित किया जाये ।)

(संख्या 54)

पृष्ठ 12, पंक्ति 33-35,

for "one of the Pro-Vice-Chancellors according to seniority shall subject to his availability", substitute "shall"

('अथवा प्रतिकुलपतियों में से एक ज्येष्ठता के अनुसार, उपबन्ध होने पर') को निकाल दें ।

(संख्या 17)

पृष्ठ 12, पंक्ति 37 से

(i) for 'no' substitute 'the'
(ii) after 'is' insert "not"

(परन्तु यदि, के बाद 'कोई' निकाल दें ।)

(संख्या 18)

पृष्ठ 12, पंक्ति 42 में *after* the "Chancellor," (कुलाध्यक्ष) के स्थान पर "Pro-Chancellor" ('कुलाधिपति') या 'प्रतिकुलाधिपति' जोड़िये

(संख्या 197)

पृष्ठ 13, पंक्ति 37, (a) ('ए') के स्थान पर 'the' ('दी') प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 19)

पृष्ठ 15, पंक्ति 14 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये ।

"(3) The Finance Officer shall be *ex-officio* Secretary of the Finance Committee but shall not be deemed to be a member of such Committee"

(3) वित्त अधिकारी वित्त समिति के पदेन सचिव होगा किन्तु समिति का सदस्य नही समझा जाएगा ।

(संख्या 198)

पृष्ठ 16 पंक्ति 17 में " Maulana Azad " (मौलाना आजाद) के स्थान पर " Zakir Hussain " (जाकिर हुसैन) प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 20)

पृष्ठ 16, पंक्ति 30 में 'Board' (बोर्ड) के स्थान पर " Board of Studies " (अध्ययन बोर्ड) प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 21)

पृष्ठ 16, पंक्ति 33, में कुलपति के पश्चात् "The Executive Council on the recommendation of" (" की सिफारिश पर कार्य परिषद ") अन्त:स्थापित किया जाये ।

(संख्या 55)

पृष्ठ 16, पंक्ति 35, "Vice Chancellor" (उपकुलपति) के स्थान पर "Executive Council" ('कार्य परिषद') प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 188)

पृष्ठ 16, पंक्ति 35 में 'उपकुलपति' के पश्चात् 'on the recommendation of Vice Chancellor' ('कुलपति की सिफारिश पर') रखिये ।

(संख्या 189)

पृष्ठ 17, पंक्ति 4 में "whole time one" ('पूर्ण कालिक') के स्थान पर "officer" ('अधिकारी') प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 22)

[प्रो० नूरुल हसन]

पृष्ठ 17, पंक्ति 35, में "Executive Council" ('कार्य परिषद') के पश्चात "on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose" (इस निमित्त गठित चयन समिति की शिफारिश पर) अन्त:स्थापित किया जाये ।

(संख्या 23)

पष्ठ 17, पंक्ति 37, में 2 के पश्चात "the Librarion shall be the head of the department of Library Science and" 'पुस्तकाध्यक्ष पुस्तकालय विभाग का विभागाध्यक्ष होगा और' अन्त:स्थापित किया जाय ।

(संख्या 24)

पृष्ठ 18, पंक्ति 27-28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये : "consisting of he student members of the Cultural Committee, Social Service Committee and Games Committee" ("सांस्कृतिक समिति, समाज सेवा समिति और खेल कूद समिति के छात्रसदस्यों'

(संख्या 25)

पृष्ठ 18, पंक्ति 31, में 'ten' ('दस') के स्थान पर ' fifteen ' "पंद्रह" रखिये ।

(संख्या 199)

पृष्ठ 18, पंक्ति 31-32 से निम्न शब्दों का लोप किया जाये : "by registered graduates on" ("पंजिकृत स्नातकों द्वारा या")

(संख्या 26)

पृष्ठ 18 पंक्ति 41 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये :

"Provided that out of twenty members aforesaid not less than five shall be representatives of cultural and educational Institutions of India". (परन्तु पूर्वोक्त बीस सदस्यों में से कम से कम पांच भारत के सांस्कृतिक और शिक्षा संस्थाओं के प्रतिनिधि होंग ।)

(संख्या 202)

पृष्ठ 19, पंक्ति 42, में से निम्न शब्दों का लोप किया जाये :

"Officers of the university or among the" (विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदों तथा सभा)

(संख्या 27)

पृष्ठ 19, पंक्ति 43 में (i) "Court" (कोर्ट) तथा (ii) "or Finance Committee" (अथवा वित्त समिति) शब्द निकाल दिए जाये ।

(संख्या 28)

पृष्ठ 18, पंक्ति 43 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़िए : "Three persons nominated by the Chancellor" ("कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति")

(संख्या 201)

पृष्ठ 24, पंक्ति 45 से "and the constitution of the Board of Studies" ("और अध्ययन बोर्डों का गठन" शब्दों को निकाल दिया जाये ।

(संख्या 29)

पृष्ठ 25, पंक्ति 24 में 'two' (दो) के स्थान पर 'four' (चार) प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 56)

पृष्ठ 25, पंक्ति 26-27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाये : "(iv) four lecturers in the Department at least two of whom shall be with less than seven years of Service" [(iv) विभाग के चार प्राध्यापक जिनमें से कम से कम दो सात वर्ष से कम सेवा वाले होंग]

(संख्या 57)

पृष्ठ 25, पंक्ति 27 में ('Faculty') 'सिफारिश' के बाद "in the manner provided in the ordinances". 'अध्यादेशों में उपबन्धित रीति से' अन्तःस्थापित किया जाये ।

(संख्या 58)

पृष्ठ 25, पंक्ति 38 में " examiners for " के पश्चात् "undergraduate and" ('पूर्व स्नातक') जोड़िए ।

(संख्या 59)

पृष्ठ 26, पंक्ति 6 में "two" ('दो') के स्थान पर 'four' (चार) रखिए ।

(संख्या 60)

पृष्ठ 26, पंक्ति 8 में 'two' ('दो') के स्थान पर 'four' (चार) रखिए ।

(संख्या 61)

पृष्ठ 32, पंक्ति 25 से "and functions" (और कृत्य) शब्दों को निकाल दिया जाये ।

(संख्या 62)

[प्रो० नूरुल हसन]

पृष्ठ 32, पंक्ति 29 से "and functions" (और कृत्य) शब्दों को निकाल दिया जाये ।

(संख्या 63)

पृष्ठ 26, पंक्ति 23 में "ten" ('दस') के स्थान पर "fifteen" ('पंद्रह') रखिए ।

(संख्या 30)

पृष्ठ 26, पंक्ति 24 के स्थान पर निम्नलिखित रखिये :

'"The Student Advisory Committees of Faculties and" (IV) "संकायों की छात्र सलाहकार समितियों और छात्र-निवासों से मिलकर बनने")

(संख्या 32)

पृष्ठ 26 में पंक्ति 30 के बाद निम्नलिखित जोड़िये :

"Provided that no student who has passed the High School or an equivalent examination more than eight years earlier or the Pre-University or an equivalent examination more than seven years earlier or has taken more than one year in excess of the period prescribed for the course for which he is a student, shall be eligible to become a member of the Students' Council." ("परन्तु कोई छात्र जिसने हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा आठ वर्ष से अधिक पहले उत्तीर्ण की हो अथवा प्राग-विश्वविद्यालय या समकक्ष परीक्षा सात वर्ष से अधिक पहले उत्तीर्ण की हो अथवा जिस पाठ्यक्रम के लिए वह छात्र हो उसके लिये विहित कालावधि में एक से अधिक वर्ष का समय उसमें लगाया हो, छात्र परिषद का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा ।")

(संख्या 33)

पृष्ठ 28, पंक्ति 1-3 के स्थान पर रखिये :

"Provided that where the appointment of a teacher is to be made in a College or the University Polytechnic the Principal of that College or the University Polytechnic, as the case may be, shall also be an *ex-officio* member of the Selection Committee constituted for such appointment". ("परन्तु जहां किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय पोलिटेकनीक में नियुक्ति करनी हो वहां यथा स्थिति उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय पोलिटेकनीक का प्रधानाचार्य भी ऐसी नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति का पदेन सदस्य होगा ।")

(संख्या 34)

पृष्ठ 29, पंक्ति 2 में "Statute" (खण्डों) के बाद "or statute 29" (या परिनियम 29) जोड़िये ।

(संख्या 135)

पृष्ठ 29, पंक्ति 12 "may" के स्थान पर "shall" रखिये ।

(संख्या 36)

पृष्ठ 30, पंक्ति 29 में "shall be" (प्रारूप) के बाद "ordinarily" (मामूली तौर पर) जोड़िये ।

(संख्या 37)

पृष्ठ 32, पंक्ति 34 से "Chief" (मुख्य) का लोप किया जाये ।

(संख्या 38)

पष्ठ 33, पंक्ति 21 से "Chief" (मुख्य) का लोप किया जाये ।

(संख्या 39)

पृष्ठ 36; पंक्ति 16 में "Department" (विभाग) के स्थान पर "Centre" (केन्द्र) रखिये ।

(संख्या 40)

पृष्ठ 36, पंक्ति 41 after "Radiology" विभाग से पूर्व "Electro Therapeutics" (विद्युत चिकित्सा) जोड़िये ।

(संख्या 41)

पृष्ठ 37, पंक्ति 6 के पश्चात निम्नलिखित जोड़िये

[(xv) "Department of Unani" Tibi and Surgery] [(xv) यूनानी तिबि और शल्य चिकित्सा विभाग जोड़िये ।]

(संख्या 42)

पृष्ठ 20, पंक्ति 40 से 43 निकाल कर लोप किया जाये ।

(संख्या 202)

पृष्ठ 25, पंक्ति 22 में निम्नलिखित जोड़िये

" (ii) Dean of the Faculty concerned" [(ii) संबन्धित संकाय का संकायाध्यक्ष ।]

(संख्या 203)

पृष्ठ 25, पंक्ति 31-33 के स्थान पर

"(vi) two experts not in the service of the university co-opted by the Board of Studies". (अध्ययन बोर्ड द्वारा सहयोजित दो विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों ।)

प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 204)

[प्रो० नुरुल हसन]

पृष्ठ 26 पंक्ति 4 **के बाद** "(ii) Dean of Faculty concerned". [(ii) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष ।] **जोड़िये** ।

(संख्या 205)

पृष्ठ 26 पंक्ति 16 **के बाद** निम्नलिखित **जोड़िये** :

"(4) Where the number of teachers in a teaching Department does not exceed twenty, the functions of the Departmental Committee shall be performed by that Department." [(4) जहां किसी अध्यापन विभाग में अध्यापकों की संख्या बीस से अधिक न हो वहां विभागीय समिति के कृत्यों का सम्पादन उस विभाग द्वारा किया जायेगा ।]

(संख्या 206)

श्री समर गुह : मुझे खेद है कि आप के अध्यक्षपीठ पर रहते हुए यह सब कुछ हो रहा है । अध्यक्षपीठ को सरकार के साथ साथ विपक्ष के हितों की भी रक्षा करनी चाहिये ।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 34, पंक्ति 45 के अंत में निम्नलिखित **जोड़ा जाये :–**

"and, further, he shall be entitled to claim the benefit of due enquiry, with full opportunity to inspect evidence and cross-examine witnesses, and offer his own evidence and witnesses, before the Executive Council or before a person or persons appointed by it to conduct the enquiry." (और यह कार्यवाही परिषद के समक्ष या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष, जो जांच करने के लिये उसके द्वारा नियुक्त किय जाये, साक्ष्य का निरीक्षण करने और साक्षियों की प्रति परीक्षा करने तथा स्वयं अपना साक्ष्य देने और अपने साक्षी पेश करने के पूर्ण अवसर सहित सम्यक् जांच की प्रसुविधा मांगने का भी हकदार होगा ।)

(संख्या 133)

श्री समर गुह : मैं अपने संशोधन संख्या 105, 108 और 111 प्रस्तुत करता हूं ।

डॉ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मैं अपने संशोधन संख्या 46, 47 और 48 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : मैं अपने संशोधन संख्या 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 और 131 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री इसहाक सम्भली : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 18, पंक्ति 34,—

(i) " Five " (पांच) **के स्थान पर** " Ten " (दस) **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

(ii) " Three " (तीन) **के स्थान पर** "Six" (छह) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 49)

पृष्ठ 18, पंक्ति 36,—

"Two" (दो) **के स्थान पर** "Four" (चार) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 50)

मैं अपने संशोधन संख्या 51 और 52 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं अपने संशोधन संख्या 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93 तथा 154 और 155 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 20, पंक्ति 33,— "Three" (तीन) **के स्थान पर** "Five" (पांच) **प्रतिस्थापित किया जाय ।**

(संख्या 88)

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं अपना संशोधन संख्या 180 एक संशोधन सहित पेश करता हूं । मैं चाहता हूं कि शब्द 'कोषाध्यक्ष' का लोप कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संशोधन सहित अपना संशोधन पढ़ें ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : माननीय सदस्य चाहते है कि 'कोषाध्यक्ष' शब्द का लोप कर दिया जाये और 'प्रोवोस्ट' के स्थान पर 'वरिष्ठता के अनुसार तीन प्रोवोस्ट बारी बारी से' शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जांये ।

मैं श्री जगदीश भट्टाचार्य का संशोधन संख्या 133 भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं ।

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह कोई निजी कार्य नहीं है और न हो यह सदन निजी है .....

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार को यह स्वीकार है तो इसकी सदा आज्ञा दी जाती रही है ।

श्री समर गुह : हमें ठीक ठीक मालूम होना चाहिये कि नया संशोधन क्या है जिसे मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं । मुझे कहना पड़ रहा है कि यहां सब काम नाटकीय ढंग से हो रहा है । संशोधन लाए जा रहे है, परन्तु इन्हें समझाने और इन पर चर्चा करने का सदस्यों को अवसर नहीं दिया जा रहा है । इतनी शीघ्रता दिखाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 17, पंक्ति 42 **के पश्चात्—**

"(ii) (a) All ex-Vice-chancellors,

(ii) (b) Three provosts by rotation according to seniority,

(ii) (c) Proctor"

[(ii) (क) सभी भूतपूर्व उप-कुलपति,

(ii) (ख) प्रवरता के अनुसार क्रमानुसार तीन प्रोवोस्ट,

(ii) (ग) प्रोक्टर] **अन्तःस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 180)

Shri S. M. Banerji (Kanpur) : I had moved Amendment Nos. 49 to 52 to clause 32 alongwith Shri Sambhali regarding the first amendment, we seek to raise the number of Members of Parliament from five to ten to give wider representation. Similarly, Amendment Nos. 50 and 51 have also been moved with the same purpose.

Amendment no. 52 has been moved to include representatives from all walks of life. Despite overemphasis by Shri Sait, it goes without saying that we all want 'Urdu' to get its proper place in India.

It would have been better if this Bill was referred to a Select Committee. We will not object to the Hon. Minister moving our Amendment in his own name.

In the end I would again request the Hon. Minister to accept these amendments.

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं संशोधन संख्या 49 और 50 तो स्वीकार कर ने को तैयार हूं, परन्तु संशोधन संख्या 51 और 52 को नहीं मान सकता। हां, इनकी भावना पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा।

श्री समर गुह : यहां अब तक का वातावरण काफी नाटकीय रहा है और इस बात से मुझे विशेष रूप से दुःख हुआ है कि जब मैंने नियमानुसार सभा की कार्यवाही चलाने का अनुरोध किया तो अध्यक्ष महोदय ने मुझ पर नाटकीय होने का आरोप लगाया। जनता ने मुझे मिट्टी का माधो बना कर नहीं भेजा है। मैं उचित बात की वकालत जरूर करूंगा। खेद है कि 40 वर्ष राष्ट्र की सेवा करने और अनेक वर्ष जेलों में रहने के बाद भी मेरे आचरण को नाटकीय बताया गया है—यदि आपने यह कहा है तो ठीक है आपको इसका अधिकार जो मिला हुआ है।

श्री राजबहादुर : हम इस व्यवहार को कतई पसन्द नहीं करते। वह अध्यक्षीय पीठ पर आक्षेप लगा रहे हैं।

(अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : काफी हो चुका अब मैं आप को बता देना चाहता हूं कि मैं और बरदास्त नहीं करूंगा।

श्री समर गुह : इस प्रकार संशोधन रखने और स्वीकार किए जाने का विरोध करने का भी मेरा अधिकार है। मैंने अपने एक संशोधन द्वारा 'धर्मदर्शन संकाय' के स्थान पर 'तुलनात्मक धर्मों तथा धर्मदर्शन संकाय' प्रतिस्थापित करना चाहा है जिससे यह विश्वविद्यालय वास्तव में राष्ट्रीय स्वतंत्र, लोकतंत्रीय एवं धर्म-निरपेक्ष बन सकेगा। मैं चाहता हूं कि कम से कम मेरा यह संशोधन अवश्य स्वीकार कर लिया जाये।

श्री हीरेन मुकर्जी ने कहा था कि 'मुस्लिम' शब्द हटाने से क्या हो जायेगा, परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि गांधीजी के एक शब्द 'अहिंसा' से ही देश में कितना बड़ा परिवर्तन आया। अतः समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता और लोक तंत्र के हित में ऐसा करना ही होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा की आज की बैठक के बारे में आपने क्या कोई निर्देश दिया है जैसा कि नियम 14 के अनुसार अपेक्षित है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैंने निर्देश दिया था कि आज सभा अपना कार्य पूरा करके ही स्थगित की जाएगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप यह विधेयक पूरा कर लेना चाहते हैं परन्तु मैं आपका ध्यान नियम 93(2) की ओर दिलाता हूं और आपका निर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल और आज यह स्पष्ट कर दिया था कि सभा इस विधेयक को निपटाकर ही स्थगित की जायेगी और आप सदस्यों के कहने पर ही बैठक आज के लिए बढ़ाई गई है ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : As a result of too much haste, so many amendments are being moved. Government also intends to move many amendments. University has a very important place in the sphere of education, then why should Government be in such a great hurry about it.

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं श्री चन्द्रप्पन का संशोधन संख्या 88 स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

Dr. Laxminarain Pandeya : I have moved an amendment to the effect that the number of representatives of Parliament should be increased from 5 to 7. I have also moved that "Department of Philosophy" should be added after line 34 in page 44 of Hindi version of the Bill. It will facilitate the study of Western and Eastern Philosophy including Indian Philosophy.

It is amazing that Government intends to move 60-70 amendments. This is objectionable. However, I hope that my amendments would be accepted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मेरे संशोधन संख्या 83-84 और 85 कुलपति, उप-कुलपति और प्रत्युपकुलपति की आयु सीमा के बारे में हैं। शायद गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिश पर सरकार ने इस विधेयक में उपकुलपति की आयु सीमा 65 वर्ष रखी है। परन्तु मेरे विचार में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को उप-कुलपति नहीं बनाया जाना चाहिये ताकि वे अपनी जिम्मेदारी को कारगर ढंग से निभा सके। मेरे संशोधन संख्या 86 और 87 का आशय यह है कि विश्वविद्यालय के कोर्ट में विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। मेरे विचार में कार्यकारी परिषद और शिक्षा परिषद में भी विद्यार्थियों को उचित स्थान दिया जाना चाहिये । जहां तक विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ का व्यवस्था का सम्बन्ध है, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इसके स्थान पर लोकतंत्रात्मक ढंग से निर्वाचित विश्वविद्यालय छात्र संघ कर दें।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मझे खेद है कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं सभा का ध्यान विधेयक की धारा 20 की ओर दिलाना चाहूंगा । इसमें लिखा है कि प्रत्येक संकाय (फैकल्टी) ऐसा विभाग होगा जो अध्यादेश जारी करके बनाया जायेगा और किसी विभाग की स्थापना या समाप्ति परिनियमों द्वारा ही की जायेगी, अन्यथा नहीं। मैं ने पहले ही बता दिया है कि विश्वविद्यालय अध्ययन के विशिष्ट केन्द्र स्थापित कर सकता है अथवा किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये विशिष्ट समितियां बना सकता है। अतः हमारे लिये यह निर्णय करना उचित नहीं होगा कि कोई विशिष्ट अध्ययन किस प्रकार किया जायेगा।

जहां तक छात्र संघ के चुनाव का सम्बन्ध है, मुझे इस बात का विश्वास है कि ये चुनाव लोकतंत्रात्मक ढंग से किये जाते हैं। अतः मैं रूपभेदित रूप में संशोधन संख्या 180, संशोधन संख्या 133 और 49, 50 तथा 88 को छोड़ कर और कोई संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 12,—

पंक्ति 4 के बाद :

"Provided that if the Visitor does not approve of any of the persons included in the panel, he may call for a fresh panel." (परन्तु यदि कुलाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह नया पैनल मांग सकेगा।) **अन्तःस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 15)

पृष्ठ 12,—

Lines 11 and 12 (पंक्ति 11 और 12) **निकाल दीजिये ।**

(संख्या 16)

पृष्ठ 12, पंक्ति 33 से 35,—

"or one of the Pro-Vice-Chancellors according to seniority shall subject to his availability". (अथवा प्रतिकुलपतियों में से एक ज्येष्ठता के अनुसार उपलब्ध होने पर।) **के स्थान पर** 'shall' ("होगा") **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 17)

पृष्ठ 12, पंक्ति 37,—

(i) "नहीं" शब्द को **निकाल दीजिये ।**

(ii) 'is' ("है") शब्द **के बाद** 'not' ("नहीं") **अन्तःस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 18)

पृष्ठ 13, पंक्ति 37,—

'a' (ए) के स्थान पर 'the' (दी) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 19)

पृष्ठ 16, पंक्ति 17,—

"Maulana Azad Engineering" (मौलाना आज़ाद इंजीनियरिंग) **के स्थान पर** "Zakir Hussain Engineering" (ज़ाकिर हुसैन इंजीनियरिंग) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 20)

पृष्ठ 16, पंक्ति 30,—

"Board" (बोर्ड) **के स्थान पर** "Board of studies" (अध्ययन बोर्ड) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 21)

पृष्ठ 17, पंक्ति 4,—

"Whole time one" (पूर्णकालिक एक) **के स्थान पर** "Whole time officer" (पूर्णकालिक अधिकारी) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 22)

पृष्ठ 17, पंक्ति 35,—

"Executive Council" (कार्यकारी परिषद) **के बाद** "on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose" (इस निमित्त गठित की गई चयन समिति की सिफारिश पर) **अन्तःस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 23)

पृष्ठ 17, पंक्ति 37,—

"He" (उस) **के स्थान पर** "The librarian shall be the head of the department of Library Science and" (पुस्तकालय विज्ञान विभाग का अध्यक्ष पुस्तकाध्यक्ष होगा और) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 24)

पृष्ठ 18,—

पंक्ति 27 और 28 **के स्थान पर** "consisting of the student members of the Cultural Committee, Social Service Committee and the Games Committee" (सांस्कृतिक समिति, समाज सेवा समिति और खेलकूद समिति के छात्र सदस्यों से मिलकर बनने वाले) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 25)

पृष्ठ 18, पंक्ति 31 से 32,—

"by the registered graduates or" (रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा या) **शब्द निकाल दीजिये ।**

(संख्या 26)

पृष्ठ 19, पंक्ति 42,—

"officers of the university or among the" (विश्वविद्यालय के अधिकारी अथवा उनमें से) **शब्द निकाल दीजिये ।**

(संख्या 27)

[अध्यक्ष महोदय]

पृष्ठ 19, पंक्ति 43,—

(i) Court, (न्यायालय) शब्द **निकाल दीजिये ।**

(ii) "or Finance Committee" (अथवा वित्त समिति) शब्द **निकाल दीजिये ।**

(संख्या 28)

पृष्ठ 24, पंक्ति 45,—

"and the Constitution of the Boards of Studies" (और अध्ययन बोर्डों का गठन) शब्द **निकाल दीजिये ।**

(संख्या 29)

पृष्ठ 26, पंक्ति 23,—

"Ten" (दस) **के स्थान पर** "Fifteen"(पंद्रह) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 30)

पृष्ठ 26,—

पंक्ति 24 **के स्थान पर** "The Students Advisory Committees of Faculties and" (संकायों की छात्र मंत्रणा समितियां और) **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(संख्या 31)

पृष्ठ 26, पंक्ति 25,—

"and Hostels" (और होस्टल) शब्द **निकाल दीजिये।**

(संख्या 32)

पृष्ठ 26,—

पंक्ति 30 **के बाद** "Provided that no student who has passed the High School or an equivalent examination more than eight years earlier or the Pre-University or an equivalent examination more than seven years earlier or has taken more than one year in excess of the period prescribed for the course for which he is a student, shall be eligible to become a member of the Students' Council". (परन्तु कोई छात्र जिसने हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा आठ वर्ष से अधिक पहले उत्तीर्ण की हो अथवा प्राग्-विश्वविद्यालय या समकक्ष परीक्षा सात वर्ष से अधिक पहले उत्तीर्ण की हो अथवा जिस पाठ्यक्रम के लिये वह छात्र हो उसके लिये विहित कालावधि में एक से अधिक वर्ष का समय उसमें लगाया हो छात्र परिषद का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा) **अन्तःस्थापित किया जाये।**

(संख्या 33)

पृष्ठ 28,—

पंक्ति 1 से 3 **के स्थान पर** "Provided that where the appointment of a teacher is to be made in a College or the University Polytechnic, the Principal of that College or the University Polytechnic, as the case may be, shall also be an *ex-officio* member of the Selection Committee constituted for such appointment". (परन्तु जहां किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय पोलीटैकनिक में नियुक्ति करनी हो वहां, यथास्थिति, उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय पोलीटैकनीक का प्रधानाचार्य भी ऐसी नियुक्ति के लिये गठित चयन समिति का पदेन सदस्य होगा) **प्रतिस्थापित किया** जाये।

(संख्या 34)

पृष्ठ 29, पंक्ति 2,—

"statute" (परिनियम) **के बाद** "or statute 29" (अथवा परिनियम 29) **अन्तःस्थापित किया जाये।**

(संख्या 35)

पृष्ठ 29, पंक्ति 12,—

"may" (हो सकता) **के स्थान पर** "shall" (होगा) **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(संख्या 36)

पृष्ठ 30, पंक्ति 29,—

"shall be" (होगा) **के बाद** "ordinarily" (मामूली तौर पर) **अन्तःस्थापित किया जाये।**

(संख्या 37)

पृष्ठ 32, पंक्ति 34,—

"Chief" (मुख्य) शब्द **निकाल दीजिये।**

(संख्या 38)

पृष्ठ 33, पंक्ति 21,—

"Chief" (मुख्य) शब्द **निकाल दीजिये।**

(संख्या 39)

पृष्ठ 36, पंक्ति 16,—

"Department" (विभाग) **के स्थान पर** "Centre" (केन्द्र) **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(संख्या 40)

पृष्ठ 36, पंक्ति 41,—

"Radiology" (विकिरण-चिकित्सा) **के बाद** "Electro-Therapeutics" (वैद्युत चिकित्सा) **अन्तःस्थापित किया जाये।**

(संख्या 41)

पृष्ठ 37,—

पंक्ति 6 **के बाद,** "(XV) Department of Unani Tib and Surgery" [(XV) यूनानी तिब और शल्य चिकित्सा विभाग] **अन्तःस्थापित किया जाये।**

(संख्या 42)

पृष्ठ 12, पंक्ति 17,—

"appointment for" (के लिये नियुक्ति) **के बाद** "not more than" (से अधिक नहीं) **अन्तःस्थापित किया जाये।**

(संख्या 54)

पृष्ठ 16, पंक्ति 33,—

"appointed by" (द्वारा नियुक्त) **के बाद** 'The Executive Council on the recommendation of' (की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद) **अन्तःस्थापित किया जाये।**

(संख्या 55)

पृष्ठ 25, पंक्ति 24,—

"two" (दो) **के स्थान पर** "four" (चार) **प्रतिस्थापित किया जाये।**

(संख्या 56)

[अध्यक्ष महोदय]

पृष्ठ 25, पंक्ति 26 और 27,—

"(iv) two Lecturers in the Department, one with more than seven years of service and the other with less than seven years". [(iv) विभाग में दो प्राध्यापक, एक सात वर्ष से अधिक सेवा वाला और दूसरा सात वर्ष से कम सेवा वाला] **के स्थान पर**

"(iv) four Lecturers in the Department, at least two of whom shall be with less than seven years of service". [(iv) विभाग में चार प्राध्यापक, जिनमें कम से कम दो सात वर्ष से कम सेवा वाले होंगे] **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 57)

पृष्ठ 25, पंक्ति 37,—

"Faculty" (संकाय) **के बाद** "in the manner provided in the ordinances" (अध्यादेशों में उपबन्धित रूप से) **अन्तःस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 58)

पृष्ठ 25, पंक्ति 38,—

"examiners for" (के लिये परीक्षक) **के बाद** ""undergraduate and"(अवर स्नातक और) **अन्तःस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 59)

पृष्ठ 26, पंक्ति 6,—

"Two" (दो) **के स्थान पर** "four " (चार) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 60)

पृष्ठ 26, पंक्ति 8,—

"Two" (दो) **के स्थान पर** "four" (चार) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 61)

पृष्ठ 32, पंक्ति 25,—

"and functions" (और कृत्य) **शब्द निकाल दीजिये ।**

(संख्या 62)

पृष्ठ 32, पंक्ति 29,—

"and functions" (और कृत्य) **शब्द निकाल दीजिये ।**

(संख्या 63)

पृष्ठ 16, पंक्ति 35,—

"Vice Chancellor" (उप-कुलपति) **के स्थान पर** "Executive council" (कार्यकारी परिषद्) **प्रतिस्थापित किया जाये** ।

(संख्या 188)

पृष्ठ 16, पंक्ति 35,—

" appoint "(नियुक्ति) **के बाद** "on the recommendation of Vice Chancellor" (उप कुलपति की सिफारिश पर) **अन्तःस्थापित किया जाये** ।

(संख्या 189)

पृष्ठ 11,—

पंक्ति 45 **के बाद**—

"The Pro-Chancellor—

2. (1) The Pro-Chancellor shall be appointed by the Visitor from a panel of not less than three perons recommended by the Executive Council :

Provided that if the Visitor does not approve of the persons so recommended, he may call for fresh recommendations from the Executive Council.

(2) The Pro-Chancellor shall hold office for a term of five years and shall be eligible for re-appointment."

[प्रति कुलाधिपति

2 (1) प्रतिकुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा कार्यपरिषद द्वारा सिफ़ारिश किये गये तीन से अन्यून व्यक्तियों के पेनल में से की जायगी :

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार सिफारिश किये गये व्यक्तियों का अनुमोदन न करे तो वह कार्य परिषद से नई सिफारिश मंगा] सकेगा ।

(2) प्रतिकुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र होगा] **अन्तःस्थापित किया जाये** ।

(संख्या 196)

पृष्ठ 12, पंक्ति 42,—

"the Chancellor" (कुलपति) **के बाद** "and the Pro-Chancellor"" (और प्रतिकुलाधिपति) **अन्तःस्थापित किया जाये** ।

(संख्या 197)

पृष्ठ 15,—

पंक्ति 14 **के बाद**—

"(3) The Finance Officer shall be *ex-officio* Secretary of the Finance Committee, but shall not be deemed to be a member of such Committee."

[(3) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, किन्तु उस समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा] **अन्तःस्थापित किया जाये** ।

(संख्या 198)

(अध्यक्ष महोदय)

पृष्ठ 18, पंक्ति 31,—

"Ten"(दस) **के स्थान पर** "Fifteen" (पंद्रह) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 199)

पृष्ठ 18,—

पंक्ति 41 के बाद—

"provided that out of the twenty members aforesaid, not less than five shall be representatives of cultural and educational institutions of India".

(परन्तु पूर्वोक्त बीस सदस्यों में से कम से कम पांच भारत की सांस्कृतिक और शिक्षा संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे) **अन्तःस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 200)

पृष्ठ 18,—

पंक्ति 43 के बाद—

"(xvi) Three persons nominated by the Chancellor"

[(xvi) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित तीन व्यक्ति] **अन्तःस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 201)

पृष्ठ 20,—

"Lines 40 to 43" (पंक्ति 40 से 43) **निकाल दीजिये ।**

(संख्या 202)

पृष्ठ 25,—

पंक्ति 22 के बाद—

"(ii) Dean of the Faculty concerned"

(सम्बन्धित संकाय का संकायाध्यक्ष) **अन्तःस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 203)

पृष्ठ 25,—

पंक्ति 31 से 33 के स्थान पर

"(vi) two experts not in the service of the University co-opted by the Board of Studies"

[(vi) अध्ययन बोर्ड द्वारा सहयोजित दो विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों] **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 204)

पृष्ठ 26, पंक्ति 4 के बाद—

"(ii) Dean of the Faculty concerned"

[(ii) सम्बन्धित संकाय का संकायाध्यक्ष] अन्तःस्थापित किया जाये ।

(संख्या 205)

पृष्ठ 26,—

पंक्ति 16 के बाद—

"(4) Where the number of teachers in a teaching Department does not exceed twenty, the functions of the Departmental Committee shall be performed by that Department."

[(4) जहां किसी अध्यापन विभाग में अध्यापकों की संख्या बीस से अधिक न हो, वहां विभागी समिति के कृत्यों का सम्पादन उस विभाग द्वारा किया जायेगा] अन्तःस्थापित किया जाये ।

(संख्या 206)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 46 से 48 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 46 to 48 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

पृष्ठ 18, पंक्ति 34,—

(i) "Five"(पांच) के स्थान पर "Ten" (दस) प्रतिस्थापित किया जाए ।

(ii) "Three" (तीन) के स्थान पर "Six(छह) प्रतिस्थापित किया जाए ।

(संख्या 49)

पृष्ठ 18, पंक्ति 36,—

"Two"(दो) के स्थान पर "Four" (चार) प्रतिस्थापित किया जाए ।

(संख्या 50)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 51 और 52 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 51 and 52 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 71 से 81 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 71 to 81 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 83, 84, 85, 86 और 87 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 83, 84, 85, 86 and 87 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सी० के० चन्द्रप्पन का संशोधन संख्या 88 मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 20, पंक्ति 33, "Three" (तीन) **के स्थान पर** "Five" (पांच) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**"

(संख्या 88)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सी० के० चन्द्रप्पन के संशोधन संख्या 89 से 93 तक और 154 और 155 मतदान के लिए रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 89 से 93 तक, 154 और 155 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendement Nos. 89 to 93 and 154 and 155 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री समर गुह के संशोधन संख्या 105, 108 और 111 मतदान के लिए रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 105, 108 और 111 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 105, 108 and 111 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 116 से 131 मतदान के लिए रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 116 से 131 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 116 to 131 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 34, पंक्ति 45,—

अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाय**—

"; and, further, he shall be entitled to claim the benefit of due enquiry, with full opportunity to inspect evidence and cross-examine witnesses, and offer his own evidence and witnesses, before the Executive Council or before a person or persons appointed by it to conduct the enquiry."

(और वह कार्यकारी परिषद् के समक्ष या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष, जो जांच करने के लिये उसके द्वारा नियुक्त किये जायें, साक्ष्य का निरीक्षण करने और साक्षियों की प्रतिपरिक्षा करने तथा स्वयं अपना साक्ष्य देने और अपने साक्षी पेश करने के पूर्ण अवसर सहित सम्यक् जांच की प्रसुविधा मांगने का भी हकदार होगा ।)

(संख्या 133)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 180, संशोधित रुप में, मत्तदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 17, पंक्ति 42 के पश्चात्—

"(ii) (a) All ex-Vice-Chancellors,

(ii) (b) three Provosts by rotation according to seniority,

(ii) (c) Proctor".

[(ii) (क) सभी भूतपूर्व उप-कुलपति,

(ii) (ख) प्रवरता के अनुसार क्रमानुसार तीन प्रोवोस्ट,

(ii) (ग) प्रोक्टर ।] **अन्तःस्थापित किया जाय ।**

(संख्या 180)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 32 as amended was added to the Bill.

खण्ड 33

संशोधन किया गया :

"पृष्ठ 37, पंक्ति 17,—

"to exercise" (का प्रयोग करने के लिए) शब्दों **के पश्चात्** "all the powers" (सभी शक्तियों) शब्द **अन्तःस्थापित किये जाएं ।**

(संख्या 43)
(प्रो० एस० नूरूल हसन)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 33, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 33, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 33, as amended, was added to the bill.

खण्ड 34-35 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 34-35 were added to the bill.

खण्ड 1

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मैं अपना संशोधन संख्या 64 प्रस्तुत करता हूं । विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है । यही स्वरूप अर्थात अल्पमत सम्प्रदाय का स्वरूप ही इस का मूल स्वरूप है । अतः इस संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री समर गुह : मैं अपना संशोधन संख्या 94 प्रस्तुत करता हूं । यह हमेशा कहा जाता है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय को साम्प्रदायिक विश्वविद्यालय न समझ कर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मानना चाहिये । परंतु दूसरी ओर इसके साम्प्रदायिक नाम को बनाए रखा जा रहा है । यह एक राजनैतिक धूर्तता है । यह एक ऐतिहासिक अवसर है और इस अवसर पर अपने राष्ट्रीय जीवन के इस 'धब्बे' को हमें हटाना चाहिये । यह विधान बहुत ही शीघ्रता से पारित किया जा रहा है । द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को समाप्त करके इस समय धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में बंगला देश का अभ्युदय हुआ है । परंतु चुनाव में सफलता पाने के अस्थायी लाभ के लिए हम इस अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहे ।

मेरा अनुरोध है कि सरकार राजनैतिक लालच के संकुचित ढांचे से बाहर निकल कर अवसर का लाभ उठाये ।

Shri S. M. Banerji (Kanpur) : Merely retaining the word 'Muslim' is not going to encourage communalism. There are quite a number of Hindu Professors in this University. (*Interruptions*).... There is a history behind this name. This university has produced a number of nationalist Muslims such as Muhammed Ali Shaukat Ali, Hazrat Mohani, etc. Name of an institutes does not make any difference. If some people think that the word 'Muslim' in the name smacks of communalism, it is not fair to think so.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री इब्राहीम सुलेमान सेट का संशोधन संख्या 64 मतदान के लिए रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 64 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
The amendment No. 64 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री समर गुह का संशोधन संख्या 94 मतदान के लिए रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 94 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
The amendment No. 94 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बनें" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 1, Enacting formula and the Title were added to the Bill.

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए"।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : जिस शीघ्रता के साथ यह विधेयक लाया गया है उस पर मैं अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता हूं। यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है। इस प्रकार की घटना इस सदन में पहले कभी भी पारित नहीं हुई। सरकार ने सारे विपक्षी दलों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया है कि इस विधेयक को विचार तथा संवीक्षा के लिए प्रवर समिति को सौंपा जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रुप में पारित किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : अलोकतंत्रीय ढंग से इस आपत्तिजनक विधेयक के पारित होने के विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

[तत्पश्चात् श्री इब्राहीम सुलेमान सेट तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए]
[Shri Ebrahim Sulaiman Sait and Some Other Members then left the House.]

दंड विधी (संशोधन) विधेयक
CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL

Shri Jagannath Rao Joshi (Shejapur) : Sir, it is going to be seen how long the house would continue? We had thought this Bill would come up in the next session. Why this undue haste?

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्पष्टतया कहा है कि जब तक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती सदन उठेगा नहीं।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : इसमें इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है। अन्तिम दिन शाम के 7 बजे इसे लाया गया है।

Mr. Speaker : Discussion on Nagarwala episode took 6 hours instead of 3 hours. Had that discussion been confined to the stipulated time, this item would also have been covered.

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : हम आज लेट बैठ कर कार्यवाही पूरी करने को तत्पर हैं।

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : We are not bound by their wishes. You must protect us. We have just cleared the Aligarh University Bill and now they are bringing forward this Bill. This is not fair.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मेरा एक अनुरोध है। यह विधेयक कल पुर:स्थापित हुआ था। हम आज इसे पारित करना चाहते हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् इस विधेयक को पारित किए जाने की बहुत अधिक आवश्यकता है जिससे साम्प्रदायिकता सिर न उठा सके।

Shri Shyamnandan Mishra: We want to read it thoroughly and examine it. If you pass it in this manner.....(*Interruptions*). What for Business Advisory Committee is there ? You will have to pay heed to what we say otherwise things would be out of your control.

श्री एस० एम० बनर्जी : जनसंघ के अतिरिक्त सभी दलों ने श्रीमती सुभद्रा जोशी के गैर-सरकारी विधेयक का समर्थन किया। इसका क्या अर्थ है ?

Shri Jagannath Rao Joshi : Why was this not included in the Business for the week? It could have been brought forward earlier. You must protect us. It is an important Bill.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय का व्यवहार बिल्कुल सहायक नहीं है। हम आपके साथ सहयोग नहीं कर सकते। (व्यवधान)

[तत्पश्चात् श्री श्यामनन्दन मिश्र सभा भवन से बाहर चले गए]

[*Shri Shyamnandan Mishra then left the House.*]

अध्यक्ष महोदय : आपका यह व्यवहार उचित नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : कल तथा परसों हमने विपक्ष के साथ सहयोग किया था। यह बहुत ही आवश्यक विधेयक है और हमें इसे पारित करना है। यदि हम इसी सत्र में इसे पारित नहीं करते तो हम देश तथा लोगों को प्रति अपने कर्तव्य में असफल होंगे। अत: विपक्ष को सरकारी पक्ष से सहयोग करना चाहिये।

Shri Jagannath Rao Joshi : Government can bring forward any Bill. Nobody can deny this fact. But why was it not included in the Business circulated earlier? They could have introduced this Bill long before. Sufficient time could have been given.

अध्यक्ष महोदय : वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। यह सब कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : *

Smt. Subhadra Joshi (Chandani Chowk) **:** I had introduced a similar Bill. I had withdrawn that Bill on the clear assurance that such a Bill would be passed during the current session. I therefore, submit that time may be provided for this Bill.

Shri Jagannath Rao Joshi : My objection is as to why was this not brought forward earlier ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यसूची में सम्मिलित है, अत: इसे अवश्य लिया जाएगा।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया।

*Not recorded.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : आधे घंटे की चर्चा संबंधी श्री समर गुह का प्रस्ताव आज के लिए कार्य-सूची में सम्मिलित है। उस पर कब विचार होगा। वह सोमवार के लिए स्वीकृत था परंतु फिर आज के लिए स्थगित किया गया था।

श्री एस० एम० बनर्जी : विधेयक पारित करने के पश्चात् कल आधे घंटे की चर्चा का प्रस्ताव लिया जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मेरा अनुरोध है कि आधे घंटे की चर्चा को अनुमति न दी जाए। 29 जून को प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच शिखर वार्ता होनी है। उसका वातावरण दूषित नहीं किया जाना चाहिये। हमें पाकिस्तान के घावों पर नमक नहीं छिड़कना चाहिये।

Shri Jagannath Rao Joshi : Is it possible for us to participate in the discussion even after 7 p.m.? They have the majority but that does not mean that rules of procedure should be neglected.... *(Interruptions)*

श्री समर गुह : मुझे अपना भाषण समाप्त करने दिया जाए। मेरे भाषण के बीच में अन्य सदस्यों ने बोलना प्रारंभ कर दिया और आपने मुझे संरक्षण नहीं दिया। **(व्यवधान)**

Shri Jagannath Rao Joshi : The Hon. Minister has not stated the reasons for bringing this Bill in such a haste. We cannot participate in this discussion. We walk out alongwith the members of our party.

[तत्पश्चात् श्री जगन्नाथ राव जोशी तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये]

[Shri Jagannath Rao Joshi and some other members then left the House.]

श्री समर गुह : यह लोकतन्त्र तथा प्रक्रिया नियमों का उपहास है।

गृह मंत्रालय तथा कर्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।

हमने सदन को कई बार आश्वासन दिया था कि सरकार साम्प्रदायिक एकता के विरुद्ध कार्य करने वाले राष्ट्रीय एकता को विरोधी तथा धर्मनिरपेक्ष लोक तन्त्र की विरोधी संस्थाओं की कार्यवाहियों का सामना करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करेंगे। 1971 की घटनाओं से एकता तथा धर्मनिरपेक्षता का महत्व सिद्ध हो चुका है। निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति समाज के सन्मुख गंभीर समस्याओं की ओर से ध्यान हटाने के विचार से साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को उभारते हैं। इतिहास ने हमें यही पाठ पढ़ाया है। देश के लोगों ने भी इस बात को समझ कर वर्ष में दो बार धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपना फैसला दिया है।

लोगों के इस निर्णय के अनुरूप, सरकार ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों के प्रति कठोर रुख अपनाएगी जो लोगों के विभिन्न वर्गों में अविश्वास की भावना फैलाते हैं। जसा कि सदन को ज्ञात है 1969 में इस उद्देश्य से हमनें आपराधिक और चुनाव नियम (संशोधन) अधिनियम, 1969 पारित करके कानूनी उपबन्धों को सख्त बनाया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए तथा धारा 505 की सीमा का विस्तार किया गया। सरकार ने उत्तेजनात्मक लेखों के प्रकाशन पर भी रोक लगाने का अधिकार लिया था, फिर भी देश में साम्प्रदायिक समस्या चिंताजनक होती चली गई, अतएव सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153क का क्षेत्राधिकार का विस्तार करने के लिए सितम्बर 1970 में इस सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया था, इसी प्रकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का क्षेत्राधिकार का विस्तार करने की मांग की गई, दुर्भाग्यवश इनके उद्देश्यों का गलत अर्थ लगाया था और भारी विरोध के कारण हमें वापिस लेना पड़ा।

[श्री राम निवास मिर्धा]

भारतीय दंड संहिता की धारा 153क की उप-धारा (1) का खंड (ख) में ऐसे कार्यों को दंडनीय घोषित किया गया है जिनसे साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है और शान्ति खतरे में पड़ सकती है। 1970 के विधेयक में हमने उन गतिविधियों जैसे कवायद-ड्रिल आदि को शामिल करने का प्रस्ताव किया था जिन से शांति को खतरा पैदा हो सकता है, परन्तु यह शंका प्रकट की गई कि उन कार्यों को, जो साम्प्रदायिक मेल जोल के लिए खतरनाक नहीं है परन्तु किसी सम्प्रदाय के सदस्यों में भय पैदा कर सकते हैं, को इसके अंतर्गत लाया जा सकता है, इन शंकाओं को ध्यान में रखते हुए हमने प्रस्ताव में थोड़ा परिवर्तन किया, हमने वर्त्तमान विधेयक में आयोजक अथवा भाग लेने वाले व्यक्ति की अपराध भावना पर जोर दिया है।

यह सभा स्वीकार करेगी कि उन अर्द्ध सैनिक प्रशिक्षण को कठोरता से निरुत्साहित करना चाहिये जिनका उद्देश्य किसी भी समस्या को हिंसा से हल करना होता है, धारा 153क के संशोधन का यही उद्देश्य है न कि स्कूल, कालेजों आदि में दी जाने वाली कवायद, ड्रिल जसे शारीरिक प्रशिक्षण को दंडित करना है।

विधेयक का दूसरा प्रस्ताव यह है कि धर्म के आधार पर किसी समुदाय की जानबूझ कर निन्दा करने के प्रयास को, जिससे राष्ट्रीय जीवन खतरे में पड़ सकता है, रोकना है। यदि इस प्रकार की निन्दा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में की जाती है तो वह व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, परन्तु यदि ऐसी निन्दा किसी समुदाय के विरुद्ध की जाती है तो हम चुप बैठे नहीं रह सकते हैं क्योंकि इससे देश को शान्ति भंग हो सकती है, इसलिए हमने नई धारा 153ख प्रस्तुत की है।

किसी समुदाय पर भाषा, जाति धर्म के आधार पर यह दोष लगाना कि वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं है, सभ्यता के सभी नियमों के विरुद्ध है। नई धारा के दूसरे भाग में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे प्रचार करने वालों को दंडित किया जायेगा जो धर्म, भाषा, निवास स्थान के आधार पर किसी समुदाय को देश का नागरिक बनने के अधिकार से वंचित रखने के बारे में कहते हों। इस प्रकार के विषैले प्रचार को रोका जाना चाहिए कि देश के एक भाग से आने वाले व्यक्ति को अन्य भाग में रोजगार, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।

इस नई धारा का तीसरा भाग उन व्यक्तियों के बारे में है जो जनता की धार्मिक भावनाओं को अपने हित के लिए उभाड़ना चाहते हैं, किसी विशेष धर्म को मानने वाले सदस्यों को यह कहना कि वे अपने धर्म के कारण देश के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान न रहें अथवा अन्यान्य मतावलंबियों के मन में भय पैदा करना जिससे राष्ट्र का ताना-बाना टूट जाये, दंडनीय अपराध माना जायेगा। इस नई धारा के तीनों भागों का उद्देश्य एक की सार्वभौमिकता तथा अखंडता की रक्षा करना है।

भारतीय दंड संहिता में केवल व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था है, अतएव संगठनों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का विस्तार करने की आवश्यकता है, 'विधि-विरुद्ध संगठन' की परिभाषा का विस्तार किया गया है ताकि उन सभी क्रियाकलापों को इसके अंतर्गत लाया जाये जो राष्ट्रीय हित को हानि पहुँचाते हैं, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के कतिपय प्रावधानों का संशोधन केवल प्रासंगिक है।

संसद में कानून बनाने का उद्देश्य उन व्यक्तियों को चेतावनी देना है जो गलत कार्य करते हैं, मझे आशा है कि अब से राष्ट्र विरोधी प्रचार अतीत की यादें बन कर रह जायेंगे, इस विधेयक के द्वारा उन लोगों को चेतावनी दी गई है जो धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के महत्व को नहीं समझते हैं, मुझे आशा है कि इस विधेयक को व्यापक समर्थन मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस संबंध में संशोधन प्रस्तुत करने वाले श्री जगन्नाथ राव जोशी अनुपस्थित हैं, श्री ज्योतिर्मय बसु।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा दल सरकार को व्यापक अधिकार देने के विरुद्ध है क्योंकि विगत अनुभव बताता है कि इनका दुरुपयोग किया गया है। सरकार के पास पहले ही इतने अधिकार हैं जो साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए पर्याप्त ह। परन्तु फिर भी साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और आज भी वास्तविक अपराधी बिना भय के घूम रहे हैं। सरकार उनका हर प्रकार से बचाव करता है।

सरकार ने बड़ी संख्या में कानून बनाए हैं परन्तु इसमें कोई लाभ नहीं हुआ है, हमारे सामने जनाब सैयद बदरुद्दजा का उदाहरण है जिनकी विभिन्न आरोपों में बार-बार गिरफ्तारी की गई है। यह वह व्यक्ति है जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान देने की पेशकश की गई थी। इनकी आयु 76 वर्ष की है और गंभीर से बीमार हैं। अभी हाल ही में उनको जमानत पर छोड़ा गया है परन्तु वे एक प्रकार से नजरबंद हैं, अल्पसंख्यकों द्वारा चलाया जाने वाला समाचार पत्र "पैगाम" पर साम्प्रदायिक एकता भंग करने के संबंध में कई आरोप लगाये गये थे परन्तु उनको निराधार पाया गया था, अब उसी पत्र को अच्छा समझा जाता है क्योंकि वह कांग्रेस दल के लिए लिखता है। जनाब सैयद बदरुद्दजा की गिरफ्तारी के समय "आनन्द बाजार पत्रिका" में यह आरोप लगाया गया था कि कई कांग्रेसियों का, जिनमें दो भूतपूर्व उप-मंत्री थे, राज्य में जासूसी करने का हाथ है, परन्तु कांग्रेसियों को कुछ नहीं कहा गया और सैयद बदरुद्दजा तथा अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, इसलिए मेरा यह कहना है कि सरकार इस अधिकार का प्रयोग अपने ही हित के लिए करेगी।

श्री भोगेंद्र झा (जयनगर) : गत अवसर पर जब इस संबंध में एक विधेयक लाया गया था तब यह आशंका व्यक्त की गई थी कि इसका दुरुपयोग किया जायेगा, इस संशोधन विधेयक में इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। श्री ज्योतिर्मय ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है वह उनकी इस विधेयक के प्रति गलत धारणों को व्यक्त करता है, इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यक समुदाय पर जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर देश के प्रति वफादार न रहने का दोष नहीं लगाया जायेगा, इस विधेयक में अल्पसंख्यक समुदाय को यह संरक्षण दिया गया है कि उनको देश के अन्य नागरिकों के समान बराबर अधिकार दिये जायेंगे तथा उन्हें बराबरी का दर्जा मिलेगा, मैं श्री ज्योतिर्मय बसु और उनके दल द्वारा इस विधेयक के विरोध का तात्पर्य नहीं समझता हूं जब कि उन्होने इसी आशय के पूर्व विधेयक का समर्थन किया था।

आज हम वर्गभेद पर आधारित समाज में रह रहे हैं और ऐसी स्थिति में एक वर्ग साम्प्रदायिक, जाति तथा भाषा संबंधी भावनाओं को उभारकर अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है, इस लिये यह आवश्यक है कि देश में इस प्रकार की संकीर्ण भावनाओं को दुर किया जाये।

साम्यवादी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने राष्ट्रीय जीवन से इस बुराई को निकाल दिया जाये। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान स्थितियो में, जहां नौकरशाही व्यवस्था है, इस कानून का दुरुपयोग किया जायेगा, परन्तु इसी आधार पर इस विधेयक का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, इस विधेयक से उन लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखने वाली शक्तियों को बढ़ावा मिलेगा जो साम्प्रदायिक, भाषाई तथा जातिगत संकीर्णताओ के विरुद्ध लड़ रही हैं।

आज साम्यवादी मार्क्सवादी दल दुहरी नीति अपना रहा है। कलकत्ता के मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में वह कह रहा है कि कांग्रेस और भारतीय साम्यवादी दल ने पाकिस्तान का विघटन किया है तथा गैर मुस्लिम क्षेत्रों में बंगला देश को स्वतंत्र कराने का श्रेय ले रहा है। यह उनका विरोधी स्वरूप है। यह विधेयक राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने और साम्प्रदायिक शक्तियों को निर्बल बनाने के लिए लाया गया है, मुझे आशा है कि इसका कम से कम दुरुपयोग किया जायेगा। इन शब्दो के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : I welcome the Bill. There was no such Bill to curb the communal riots in the country. But now this has been brought which will strengthen the secular society of our country.

[Shri Shashi Bhushan]

I am not surprised at Shri Jyotirmoy Bosu's opposition to this Bill. His party claims to be followers of Marx. I do not think they have any right to call themselves Marxsist. Because it is difficult to think that a Marxist will like Para-Military organisations. Despite opposition this Bill will get support in this Country and communal parties will have to work more cautiously from now onwards.

श्री समर गुह (कन्टाई) : जहां तक विधेयक के उद्देश्यों का प्रश्न है, मैं इसका समर्थन करता हूं, परन्तु इसके खण्डो का अध्ययन करने का समय नहीं मिला है इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कहा सकता है, कांग्रेस दल में कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनके अनुसार यदि यह विधेयक पारित नहीं किया गया तो बड़ी भारी मुसीबत आ जायेगी, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं, निश्चय ही देश में साम्प्रदायिक दलों का उन्मूलन किया जाना चाहिए परन्तु संसदीय परंपरा का भी निर्वाह किया जाना चाहिए । यहां समुची संसदीय परम्परा का मजाक बनाया गया है, इसे विधेयक को, कल भी यहां लाया जा सकता था जिससे इस पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय मिल पाता । लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सुदृढ़ विपक्ष की आवश्यकता है, यह लोकतंत्रीय पद्धति नहीं है जैसा कि आपने इस विधेयक पर विचार करने के लिए समय नहीं दिया है, मुझे संदेह है कि लोकतंत्र का भविष्य इस प्रकार सुरक्षित रहेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस विधेयक पर चर्चा अपेक्षाकृत असाधारण परिस्थितियों में हो रही है क्योंकि कतिपय दलो के विचार में यह उनके हितों को हानि पहुंचाने के लिए प्रस्तुत किया गया है, संभवत: वे इसी कारण यहां उपस्थित नहीं है । मुझे पता चला है कि वास्तव में वे इस पर चर्चा करने के लिए कुछ समय चाहते थे, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप धैर्यपूर्वक यह विचार करें कि क्या इस समय विधेयक को विरोधी दलों, जो इनका विरोध कर रहे हैं, की अनुपस्थिति में पारित करना उचित है अथवा नहीं । अन्यथा यह समझा जायगा कि हमने इस विधेयक के विरोधियों को विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया है ।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक पर चर्चा अगले दिन तक के लिए स्थगित की जाए ताकि सदस्य इस संबंध में संशोधन प्रस्तुत कर सकें । ऐसा करने से कोई भी यह शिकायत नहीं करेगा कि उसे इस पर विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला है । हम जानते हैं कि यह विधेयक पारित हो जाएगा । परन्तु इसके लिए समय दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में जो कुछ कहा गया है, उससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ, अध्यक्ष के समक्ष इस प्रकार की बातें करना एक सामान्य बात हो गई है ।

यह संपूर्ण सप्ताह सरकारी कार्य के लिए नियत किया गया था, इनमें से दो या तीन दिन उन प्रस्तावों पर लगाने पड़े जो विपक्षी दलों की ओर से प्रस्तुत किये गये थे । प्राय: जब भी विधेयक अध्यक्ष की अनुमति के लिए भेजे जाते हैं तो पहले अध्यक्ष विधेयक के विषय की अविलम्बनीयता के बारे में अपने आपको संतुष्ट कर लेता है । जब मेरा अपना विवेक यह स्वीकार कर लेता है कि लोक हित इस बात की मांग करता है कि कोई विधेयक अल्प सूचना के आधार पर ही पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिये तो मैं अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार ऐसा करने की अनुमति दे देता हूं । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक के पक्ष में जो तर्क दिये गये थे वह काफी सशक्त थे अत: मुझे सरकार की बात माननी पड़ी । परन्तु जब दूसरे पक्ष के लोगो को यह पता चला तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी अन्य कार्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

श्री एस० एन० बनर्जी : हम कल भी बैठने को तैयार हैं...

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और सदन से बाहर चले गये । वह कुछ समय के लिए प्रतीक्षा भी न कर सके । **(व्यवधान)** कुछ सुझाव इस ओर से तथा कुछ उस ओर से मेरे पास आये हैं । कुछ संशोधन भी है । उन्हें रुकना चाहिये था क्योंकि संशोधन उनके नाम में थे । मैं इस

अवस्था में हस्तक्षेप कर सकता था क्योंकि यह विचारार्थ प्रस्ताव सम्बन्धी संशोधन था। इसका कोई रास्ता तो निकाला जा सकता था। संशोधन प्रस्तुत करने का समय आने से पूर्व ही वह चले गये . . . अगर उन्हें संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति न दी जाती तो वह भले ही सदन से चले जाते। . . . अब वे यहां नही हैं . . .

श्री एस० एम० बनर्जी : सम्भवत: उन्होंने सोचा होगा कि कही विधेयक के पारित होते ही उन्हें गिरफतार न कर लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अध्यक्ष की आलोचना करना तो इन लोगों का स्वभाव ही बन गया है। या तो आप मुझे विवेकाधिकार दीजिये ही नहीं और यदि देते हों तो उसे प्रयोग भी करने दीजिये।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सरकार इस विधेयक को इतनी जल्दी कभी न लाती परन्तु इसे जल्दी लाने के पीछे जो पृष्ठभूमि है उससे सभी सदस्य भली भांति अवगत है। सदन में श्रीमती सुभद्रा जोशी द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा करते समय यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार इस विषय से सम्बद्ध विधेयक इसी सत्र में प्रस्तुत करेगी। यह आश्वासन अन्य अनेक अवसरों पर भी सदन में दिया गया था। इतना होने पर भी यदि कुछ सदस्य चर्चा में भाग नहीं लेते तो उसके लिए दल क्या कर सकते हैं।

श्री वसु और श्री भोगेंद्र झा ने यह अनुभव किया है कि इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार को बहुत शक्तियां प्रदान कर दी गई है जिन का सरकार दुरुपयोग कर सकती है। सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के दुरुपयोग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। साम्प्रदायिक संगठनों को गैर-कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है। अधिसूचना जारी करते समय केन्द्रीय सरकार उन कारणों का पूर्ण ब्यौरा देगी कि किसी संगठन पर क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके बाद एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जायेगा जिस में उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होगा जो उस अधिसूचना पर विचार किया करेगा। अत: कानून के अन्तर्गत भी सुरक्षा की काफी व्यवस्था है। मैं माननीय सदस्यो को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस कानून के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही की जायेगी, वह काफी सोच विचार के बाद की जायगी। परन्तु इसके साथ ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अवांछनीय कार्यवाहियां करने वाले संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करने की दृष्टि से ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही मैं गैर-कानूनी कार्यवाहियां करने वाले संगठनों को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि उन्हें राष्ट्रीय एकता या साम्प्रदायिकतावादी कार्यवाहियां कभी नहीं करनी चाहिये जिससे कि सरकार को इस विधेयक के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शक्तियों के उपयोग का अवसर ही प्राप्त न हो।

अन्त में मैं इस सम्बन्ध में श्रीमती सुभद्रा जोशी के प्रयत्नों की सराहना करना चाहता हूं जिनके फलस्वरूप हम, यह विधेयक शीघ्र प्रस्तुत करने में सफल हुये। उन्होंने देश का ध्यान साम्प्रदायिक संगठनों से उत्पन्न खतरें की ओर आकृष्ट किया। मैं सदन से विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कुछ संशोधन और प्रतिस्थापन प्रस्ताव भी थे। उनमें से एक के बारेमें मैं जनसंघ दल के सदस्यों की राय जानना चाहता था। वह उपस्थित नहीं है। श्री जगन्नाथराव जोशी का एक संशोधन है जो कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने से सम्बन्धित है। उनका यह कहना ठीक नहीं है कि संशोधन प्रस्तुत करने के लिए उन्हें समय नहीं दिया गया। विधेयक का अध्ययन करने के लिए काफी समय था। मेरे पास तो खण्डवार विचार से सम्बद्ध संशोधन भी आ गये हैं, अब प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब इस पर खण्डवार विचार किया जायेगा ।

श्री० एस० एल० सक्सेना (महाराज गंज) : यद्यपि मैं विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु फिर भी मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की बात से भी सहमत हूं । मेरा भी यही निवेदन है कि जो सदस्य उपस्थित नही है उन्हें अपने संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये । यह कार्य कल तक स्थगित किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने संशोधन भेजे थे और उन्हें मालूम था कि उनपर आज ही विचार किया जायेगा अत: उन्हें इसके लिए रूकना चाहिये था । सरकार उनके संशोधनों को स्वीकार भी कर लेती परन्तु अब उन्हें प्रस्तुत करने वाला ही कोई नहीं है . . .

अब खण्ड 2 को लीजिये । श्री जगन्नाथ राव जोशी ने संशोधन का नोटिस दिया था परन्तु उन्होंने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया । दूसरा संशोधन भी प्रस्तुत नहीं किया गया ।

श्री रामनिवास मिर्धा : मेरा एक संशोधन है । इसका सम्बद्ध खण्ड 2 से है । यह बहुत छोटा संशोधन है । हम उसे उसी प्रकार रखना चाहते हैं ।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2 पंक्ति 31 :

"religious ceremony" (धार्मिक उत्सव) शब्द के स्थान पर "religious ceremonies" (धार्मिक उत्सवों) शब्द रख दिया जाये ।

(श्री राम निवास मिर्धा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2, को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2, as amended, was added the to bill.

खण्ड 3
Clause 3

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 44,—

clause (b) (खण्ड 2) के स्थान पर sub, clause (b) of clause (i) (खण्ड एक) का उपखण्ड (ख) शब्द रख दिया जाये ।

(श्री राम निवास मिर्धा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 3 को, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3, as amended was added to the Bill.

खण्ड 4, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 4, Clause 1, the Enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

भारत के साथ एक और युद्धके लिए पाकिस्तान की तैयारी*
PAKISTAN'S PREPAREDNESS FOR ANOTHER WAR WITH INDIA

श्री समर गुह (कन्टाई) : आधे घण्टे की चर्चा उठाने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका आभारी हूं। मेरे विचार में भारतीय उप-महाद्वीप की राजनीति को नया मोड़ देने का यह एक अद्वितीय अवसर है। श्री भुट्टो के साथ प्रस्तावित शिखर सम्मेलन से पूर्व पाकिस्तान से बंगला देश को मान्यता दिलवाई जानी चाहिए ताकि बंगबन्धु शेख मजीबुर्रहमान भी इसमें भाग ले सकें।

उप-महाद्वीप में स्थायी शान्ति की स्थापना हेतु भारत-बंगला देश मैत्री का पक्का आधार होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ बातचीत के दौरान बंगला देश को मान्यता देना भारत का मार्गदर्शक सिद्धान्त होना चाहिए।

[श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुए
[Shri R. D. Bhandare *in the Chair.*]

शिखर सम्मेलन के दौरान और उससे पूर्व पाकिस्तान के लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि पाकिस्तान की मिलिटरी जुन्ता की पराजय पाकिस्तान के लोगों की पराजय नहीं है। भारत को सद्भावना व्यक्त करने के लिए 6000 स्त्रियों एवं बच्चों तथा 4951 असैनिकों को छोड़ देना चाहिए।

हमें युद्ध बन्दियों के मन में भी यह भावना पैदा करनी चाहिए कि वे हमारे शत्रु नहीं हैं। पाकिस्तान की मिलिटरी जुन्ता ने हमारी विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। वे तो हमारे भाई हैं।

पाकिस्तान के युद्धतन्त्र की स्थिति लगभग पहले जैसी है। पश्चिम एशिया तथा अफ्रीकी देशों ने 141 टैंकों तथा 97 वायुयानों की क्षति पूरी कर दी है। चीन ने भी टैंक तथा दूसरा युद्ध का सामान दिया है।

इसके अतिरिक्त पाकिस्तान अपनी युद्ध क्षमता में वृद्धि करने के लिये अत्यधिक प्रयास कर रहा है। श्री भुट्टो ने इसीलिये चीन का दौरा किया है। उन्होंने सैन्टो ग्रुप को भी पुनः सक्रिय किया है। ईरान तथा तुर्की के साथ रक्षा सन्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ईरान एक बहुत बड़ी जलसेना बना रहा है और और वायुयानों की संख्या बढ़ा रहा है। ईरान तथा पाकिस्तान की वायुसेनाओं ने संयुक्त अभ्यास भी किये हैं। यदि पाकिस्तान भारत के साथ शान्ति के साथ रहना चाहता है तो उसे अपनी युद्ध क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास नहीं करना चाहिये।

---

*आधे घन्टे की चर्चा।

*Half-an-hour's discussion.

[श्री० समर गुहा]

यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 2 लाख छापामार सैनिकों की फौज तैयार की जा रही है। इसका क्या उद्देश्य है ? भारत को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि युद्ध-बन्दी तभी लौटाये जायेंगे और उनका इलाका तभी वापिस किया जाएगा यदि पाकिस्तान बंगला देश को मान्यता देगा और स्थायी शान्ति के लिये भारत के साथ दीर्घकालिक आधार पर मैत्री का रुख अपनायेगा। सम्भव है कि पाकिस्तान इसके लिए सहमत न हो परन्तु स्थिति अब उनके हक में नहीं है। मैंने इस सन्दर्भ में यह मामला उठाया है कि उप-महाद्वीप में स्थायी शान्ति एवं स्थिरता के लिये हमें प्रयास करना चाहिए।

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : उप-महाद्वीप में स्थायी शान्ति के लिए सुन्दर भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए मैं श्री समर गुह को धन्यवाद देता हूं। बंगला देश के स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात् प्रधान मन्त्री ने एकपक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की थी। इससे विश्व को संकेत दिया गया था--जैसा कि पहले भी कई बार दोहराया गया था--कि भारत पाकिस्तान को तोड़ना या उसको समाप्त नहीं करना चाहता। यह लड़ाई न्याय और मानवीय मान्यताओं के लिए लड़ी गयी थी।

दूसरी बात यह है कि द्विपक्षीय वार्तालाप के लिये प्रधान मन्त्री ने कोई शर्त नहीं रखी थी। अतः हम इस समय भी हम कोई शर्त लगाना नहीं चाहेंगे।

आज इस उप-महाद्वीप में बंगला देश, भारत और पाकिस्तान तीन देश हैं। इन तीनों देशों में सामाजिक स्थिति एक जैसी है और लोग गरीबी के शिकार हैं। यदि हम लोगों को रहन सहन के अच्छे स्तर का आश्वासन दे सकें यह तो यह एक महान् उपलब्धि होगी। यह तभी सम्भव हो सकता है यदि इस उप-महाद्वीप में शान्ति हो।

मुझे इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान विभिन्न प्रकार से फौजी सामान एकत्र कर रहा है। मुझे सीमा उल्लंघन की असंख्य घटनाओं के, विशेषतः जम्मू और कश्मीर के बारे में भी जानकारी है। इन सबके बावजूद भी हम उप-महाद्वीप में स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने का हर सम्भव प्रयास करेंगे।

मेरे मित्रों को यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रपति भुट्टो के एक प्रवक्ता ने यह पहली बार स्वीकार किया है कि यह लड़ाई निर्णायक लड़ाई थी। हमें आशा करनी चाहिए कि राष्ट्रपति भुट्टो अब राष्ट्रपति यहिया खां वाली मूर्खता नहीं करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो हम अपने देश के सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करेंगे। अतः मैं यही कहना चाहता हूं कि उप-महाद्वीप में शान्ति स्थापना के लिए हमारा दृष्टिकोण द्विपक्षीय वार्ता के लिये किसी प्रकार की शर्त न लगाने का है।

सभापति : अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोकसभा अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

भा०स०मु०ना०—5 लोक सभा/72—5-10-72—490.